[Shri M. M. Jacob]

(2) The Aurovile (Emergency Provisions) Amendment Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(3) The Merchant Shipping (Second Amendment) Bill, 1987.

(4) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(5) The Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Bill, 1987.

(6) The Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Bill, 1987

(7) The Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(8) The All-India Council for technical Education Bill, 1987.

(9) The Constitution (Fifty-sixth Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(10) The National Housing Bank Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

THE CONSTITUTION AMENDMENT BILL, 1987 TO AMEND ARTICLE 276

DR. BABU KALDATE Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

DR. BAPU KALDATE: Sir, I introduce the Bill.

THE DECLARATION AND PUBLIC SCRUTINY OF ASSETS OF CITIZENS BILL, 1987

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for declaration and public scrutiny of asets by citizens and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

DR. BAPU KALDATE: Sir, I introduce the Bill

THE CONSTITUTION AMENDMENT BILL, 1987 [INSERTION OF NEW ARTCLES 23A 23B AND 23C]

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted

DR. BAPU KALDATE: Sir, I introduce the Bill

THE PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL, 1985—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MOSTAFA BIN QUASEM): Now, further consideration of the motion moved by Shri Chaturanan Mishra. Shri Mishra, please Continue

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा था कि पेमेण्ट ग्राफ वेजेज एक्ट के सेक्सन 9 के कलाज, सब-क्लाज 2 का जो यह प्रोवीजों है, उसके चलते मजदूरों का अगर एक घण्टा भी वह हड़ताल करते है तो ग्राठ दिन तक की उनकी मजदूरी काटी जा सकती है, उनको जुर्माना हो सकता है ग्राठ दिन तक का।

[उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) पीठासीन हुए।]

महोदय, यह प्रोवीजों नेचुरल जस्टिस के भी खिलफ है और डिस्क्रिमिनेटरी भी है। डिस्क्रिमिनेटरी इस अर्थ मे कि अगर लॉक-आउट के लिए कोई भी जुर्माना नहीं है तो मजदूर हड़ताल पर जाय तो उसके लिए जुर्माना क्यों ? मैं यह भी नहीं मानता कि लॉक-आउट और हडताल दोनों बराबर हैं, लेकिन सरकार ऐसा मानती है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हड़ताल करना मजदूरों का

जो कि बहुत ही शोषित तबका है, उसका फंडामेंटल राइट है और इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर यह सरकार सोचती है कि दोनों बराबर हैं, तब तो जब लॉक-आऊट के लिए कोई प्रोवीजन नहीं है जुर्माने का तो फिर हड़ताल के लिए और वह भी एक घंटे की हड़ताल के लिए आठ दिन की तनख्वाह का जुर्माना सर्वथा अन्याय है और दमनात्मक है।

मैंने उस दिन भी यह कहा था आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कि हमारे देश के अंदर लाक-आऊट से ज्यादा मानव-दिनों की हानि हो रही है क्योंकि जो लाक-आऊट के चलते पिछले साल टोटल मेण्नडेज लोस हुआ था वह 13 मिलियन डेज़ था और हड़ताल के चलते जो हुआ था वह मात्र 9 मिलियन डेज़ था। इसलिए अगर कोई जुर्माना करना है तो उन पर करना है जो देश के अंदर लाक-आऊट करके इतने बड़े उत्पादन की क्षति करते हैं, न कि मजदूरों पर करना चाहिए। मैंने उस दिन भी यही कहा था।

महोदय, आज मैं ज्यादा न कहकर के इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की दुनियां में साइंस एण्ड टेक्नोलोजी में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उसके चलते विश्व-बाजार में चीजों की कीमत घटी है, उत्पादन का खर्चा, लागत खर्चा कम हो गया है। लेकिन हमारे देश में इकोनोमी बहुत ही कोस्टली है और हमारी टेक्नीक ज्यादातर आऊट आफ डेटेड है। अगर हम विश्व-बाजार में प्रतिबद्धता करना चाहते हैं, सफलता से अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम ऊंचे टेक्नीक अपनाएं। लेकिन जिन देशों ने, जिन राष्ट्रों ने ऊंचे टेक्नीक अपनाएं है, उनके लिए यह पहला जरूरी काम हुआ है कि उन्होंने मजदूरों के साथ एक साझेदारी का नियम बनाया है। बिना मजदूरों के सहयोग लिए हुए कोई भी ऊंचे तकनीक का काम नहीं कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जापान जैसे पूंजीवादी देश में भी मजदूरों के साथ एक साझेदारी का, मैनेजमेंट में उनकी भागीदारी का उन्होंने भी नियम बनाया था, जबकि वह पूंजीवादी राष्ट्र है, पूंजीवादी देश है, लेकिन फिर भी यह उनके लिए अत्यंत आवश्यक हुआ। लेकिन हमारी इकोनोमी जब इतनी कोस्टली है और इस कोस्टली इकोनोमी को लेकर हम इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे दरिद्रता की रेखा से नीचे की आमदनी वाले लोग हैं, उनको हम आगे नहीं ला सके है। तो हमारे लिए यह और भी ज्यादा जरूरी है कि हम मजदूरो के साथ सहयोग करें।

मैं सरकार से यही कहूंगा कि अगर मजदूरों के साथ सहयोग करना चाहते है, उसका सहयोग लेना चाहते है तो जो दमनात्मक आपका यह कानून है, इसको आप हटा लें। उनके अंदर इस भावना की जागृति होनी चाहिए, उनको पूरा सम्मान दिया जाय तभी हम उनसे पूरा सहयोग लेकर आज की संकट की घड़ी में अपने उद्योग का आधुनिकीकरण कर सकते है और गरीबी से लड़ सकते हैं। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह होगा कि यह जो प्रोवीजो है, जो दुनियां में दमनात्मक के साथ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेटरी है, मजदूर वर्ग विरोधी है और जो सीधा पूंजीवादियो की दलाली का प्रोवीजो है, जो अंग्रेजों के जमाने से हमारे ऊपर लदा हुआ है। इस प्रोवीजो को हटाने के लिए सरकार राजी हो जाए, यही मैं चाहता हूं। साथ ही मैं आग्रह करुंगा माननीय सदस्यों से कि इसके लिए वे अपना समर्थन दे और सरकार से, अपने नौजवान मंत्री महोदय से भी निवेदन करुंगा कि वे इस समस्या पर गंभीरता से विचार करे और इस दमनात्मक प्रोवीजो को हटा दे। इस तरह की जो लेबर कानून में गलत चीजें हैं, उन्हें समाप्त किया जाय। धन्यवाद।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मिश्र जी ने जो यहां अपना विधेयक प्रस्तावित किया है, उसके बारे में मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है।

[श्री राम चन्द्र विकल]

उपसभाध्यक्ष महोदय, वह दिन इस देश के लिए सौभाग्यशाली होगा जबकि न हडताल हो और न लाक-आउट हो। परन्तु यह दिन आना शायद सभव नही है। मै मिश्र जी की इस बात से सहमत हू कि यह गलत है कि अगर मजदूर एक दिन की हडताल करे तो उसका 8 दिन का वेतन बन्द कर दिया जाये। यह मजदूरो के हक मे नही है। इस पर चितन होना चाहिए। सभापति महोदया, लाक आउट भी कभी अनावश्यक हो जाते है बल्कि मै कहूगा कि कर दिए जाते है। मै इसे निजी तौर से जानता हू। अभी तक हमारे यहा लाक आउट के बारे में दण्ड व्यवस्था नही है केवल मजदूर के लिए बनी हुई है। इसलिए यह न्यायसंगत नहीं है। मै इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे लाक-आउट हो या हडतालें—ये देश के हित मे नही है। लेकिन जब कभी मजदूर उनके अधिकारो से वंचित किए जाते है, तो विवश होकर उन्हे हड़ताल पर जाना पड़ता है। तो उसमे ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि जिस दिन वह काम पर न आए उस दिन का वेतन न दो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) वह भी कहा न्यायसंगत है?

श्री राम चन्द्र विकल : जब उन्हे हडताल पर भेजा जा रहा है, तब तो नहीं काटना चाहिए। लेकिन जब वे हड़ताल करते है तो यदि एक दिन करते है तो एक दिन का वेतन काट लो परन्तु 8 दिन का काटना न्यायसंगत नही है। मिश्र जी की इस बात से मैं सहमत हूं। साथ ही लाकआउट कभी-कभी क्यो किए जाते है, उन बातो को भी मै जानता हूं। सभापति महोदय, दिल्ली क्लाथ मिल की सदन में काफी चर्चा हुई और इस सदन की भावनावश वह क्लाथ मिल दिल्ली मे ही कुछ दिन के लिए रुक गया। महोदया, मुझे जानकारी है कि चूंकि दिल्ली और आस-पास जमीन की वैल्यू ज्यादा है तो यहां से उसको बन्द करके दूसरी जगह ले जाना चाहते है, यह सोचकर कि वहा जमीन सस्ते रेट पर ले लेगे। लेकिन यह जो जमीन मिल की जाएगी इस पर बहुमंजिली बिल्डिगो के नक्शे बन गए हैं जो आज बहुत बडी सपत्ति बन सकती है। ऐसे लाक आउट मे भी कुछ उद्योगपति अपना फायदा सोच लेते है। मैं कहना चाहता हू कि यदि दिल्ली मे वायु प्रदूषण की वजह से उसको बन्द करना है तो गवर्नमेंट को उस पर कब्जा कर लेना चाहिए और वहा अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मिल मालिको के हक मे यह कर दिया गया है कि दिल्ली के आसपास कोई दूसरी जमीन ले ली और यहा की जमीन जो बहुत कीमत की हो गयी है, वह उनके लिए फ्री छोड़ दी जाती है और वहा जो गरीब मजदूर लोग है उनके मकानों को धाराशायी किया जाएगा। अभी फिर मेरे कान मे यह बात आयी कि जो गरीब लोग वहां बसे हुए है और मिल की वजह से बसाए गए हैं, उन सब को उजाड़ने के लिए यह योजना चलायी जा रही है। मैं खाली दिल्ली क्लाथ मिल की बात नही करता। मैं उत्तर प्रदेश की बहुत-सी मिलो के बारे मैं जानता हूं जो मजदूरो के साथ बारगेनिग के लिए आप अपने लाक-आउट कर देते हैं। तो चाहे मिल मालिक ज्यादती करें तो सरकार को उन्हें रोकना चाहिए ताकि कारखानों के अन्दर और खेतों के अन्दर उत्पादन ज्यादा बढ़ सके। चाहे मजदूर करें तो उसमें भी सरकार का सहयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक हो सरकार को मजदूरो की मदद करनी चाहिए। जैसाकि अभी मिश्र जी जापान का जिक्र कर रहे थे। मैंने भी जापान देखा है। वहां के कर्मचारी जब स्ट्राइक करते हैं तो वे काली पट्टी बांधते है लेकिन काम बन्द नहीं करते बल्कि काम उससे ज्यादा करते है और वहां की सरकार भी काली पट्टी के प्रदर्शन से ही मान जाती है। वह संकेत मात्र से समझ जाते हैं कि काली पट्टी बंधी है, मजदूरों

में कुछ रोष है और वे उन से बात चीत करके, चाहे गवर्नमेंट हो या फैक्ट्री के मालिक हों मामले को सेटिल कर लेते है और उन की भावनाओ का आदर करते है। तो दोनो तरफ की भावनाओ का आदर करके ही हमारा देश समृद्धिशाली बन सकता है।

इन शब्दो के साथ मैं मिश्र जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हू कि मजदूरों के हक मे जो बात हो वह जरूर होनी चाहिए और कम से कम उन के साथ अन्याय तो बिलकुल ही नही होना चाहिए।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): *Mr. Vice-Chairman, Sir,* I thank my esteemed colleague, Shri Chaturanan Mishra for introducing this Bill. I am also thankful to Shri Ram Chandra Vikalji from the other side who has extended support to this Bill. It proves that the Bill is very much justified and the Government should consider the provisions of the Bill.

The *Payment of Wages Act was* passed in 1936, that is, 51 years back. During the British regime, colonial regime, any *movement,* legal trade union movement, legitimate movement of the workers was considered by the Government as a law and order problem. At that time, there was no democratic attitude towards the workers movement and working class had to fight *bitterly for getting their wages.* The Payment of Wages Act, 1936 provided that if a worker was absent from his work even for 2 minutes or 5 minutes, his wages for 8 days could be deducted. The hon. Member has said that if he is absent for one hour his wages can be deducted. Why one hour? In this Act hours are not mentioned. It is the most atrocious Act passed by the colonial regime at that time In Great Britain such an Act did not exist. The British people would have felt very much of such an Act. They did not enact it in their own country but they enacted it in our country to suppress the workers movement, to suppress the peoples' movement because they disdained any sort of workers' protest. Therefore they brought Rowlatt Act and they did so many things. They hanged Bhagat Singh They could do it, we understand. But I fail to understand even after 51 years of passing this Act and 40 years of independence, this Government and *the hon. young Minister have not changed this rule.* I can *understand that* it has not been changed and has not has been applied also. But on the contrary, it has been applied very recently against the coalmine workers' strike. They went on a one day strike. This has not happened *in the private sector as it happens with* the greedy private owners. But Mr Sangma's Government have applied this Act and deducted 8 days wages of the workers for one day's strike. Mr Sangma and his Government have brought this Rowlatt Act back which was condemned during the British regime. They are again introducing these things to suppress the democratic *movement and trade union movement* here. So it is a most shameful thing and condemnable attitude on the part of this Government that this Act still exists in our statute book

Sir, workers have a right to strike. *It* is agreed in our Constitution and *accepted by the Constitution and also accepted* in any democratic country Why do the workers go on strike? Everybody knows that when all avenues are exhausted, when the administration or the Government or the owners take an adament attitude, the workers are left with no choice but to resort to strike. Even the rule is no-work-no-pay and oneday's strike one day's wage cut But why should the workers lose one day's pay when they go on strike? They *go on strike only* when they are compelled to and when they are forced to I cannot understand the rule one-day's-strike eight day's-wage-cut. I understand no-work no pay. But why is it for eight days? It is one of the most punitive Acts, most atrocious Acts enacted by the British regime the colonial regime to brutally suppress the trade union movement, the workers' *movement. But as my friend* Shri Chaturanan Mishra, said, the employers have *the right to lock-out their factories. They lock out and the Government* remains almost silent. They do not have got sufficient law in their hands to force the owners to open the gates of the

[Shri Sukomal Sen]

factories. Lock-out continues; so many factories are under lock-out. It exhibits that this Government is hand-in-glove with the owners, whether in the public sector or in the private sector and they are totally against the workers. That is why such a thing exists. When the coal worker wages were cut, several times we protested in the House. The working classes have protested as to why these colonial rules are being inducted for suppressing the workers' movement, for punishing the workers. The Government has remained silent. It is a most painful act, condemnable act, atrocious act and most heinous act. It is the legacy of the colonial rule and I would request the hon. Minister, if he feels that he is a Minister of an independent Government and not of a colonial Government, then he should take the initiative to amend this Act and accept the Bill, introduced by my friend, Shri Chaturanan Mishra, so that at least some democratic norms are maintained by the Government. Otherwise, if the Government does not do it and if this Bill is rejected or the Government adopts a rigid attitude, then the workers will have no path left to them except to resort to continuous struggle to force the Government to amend this Act. With this, Sir, I conclude.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, our poet from Andhra Pradesh Sri Sri, has in his songs narrated that the history of the world is the history of the exploited fight against the exploiter; whether it was slave civilization, fuedalism or capitalism, this struggle is going on, where the exploited goes on working and the exploiter comes one fine morning and takes away everything, leaves nothing for the exploited and the worker has to struggle for his existence. It is said that ours is a Socialist Republic. I do not know how our rulers amended the Constitution calling it a Social Republic. It is simply to mislead the Indian public opinion. The history of our freedom movement was the history of the workers' movement and workers' struggle. Britishers were the major exploiters and that is why the Indian fought against them. Tilak had been organising the workers and everywhere the movement led by Tilak has supported by the working class and when Tilak was sent to Mandale, the workers in Bombay had stopped work and finally, in 1946, the army revolted and the Britishers had to bow down. At Bombay the working class went on in a general strike in support of the navy and the army. Barricades were built and the Britishers had to bow down and the in-famous Mountbaten award was executed as a result of which India was vivisected. The exploiter once more had come on to the seat. This is the sad state of affairs. Today capitalism all over the world is in a crisis and in India also the capitalist class is in a crisis. With 60 per cent of the people below the poverty line suffering everywhere on account of drought and floods, these rulers are sitting nonchalantly. I want to remind them that the day of recokoning is not far off. You are thinking of changing the Industrial Disputes Act into Industrial Relations Act. By changing the name, you are not going to build up relations. But you want to see that workers do not have the right to strike and if they go on strike penal action is taken against them. That is your motive. You know that because of the inflataion and abnormal rise in prices, workers, employees, will go on strike and you want to curtail their rights. Because of that attitude only you have allowed this particular provision to be in the Act. There is no other reason for it. Mr. Vice-Chairman, Sir, this particular clause states as follows :

> "Provided that subject to any rules made in this behalf by the State Government, if ten or more employed persons acting in concert, absent themselves without due notice (that is to say, without giving the notice which is required under the terms of their contracts of employment) and without reasonable cause, such deduction from any such person may include such amount not exceeding his wages for eight days as may by any such terms be due to the employer in lieu of due notice."

What does this mean? Is this not suppression? This is naked suppression of workers. With some lame excuse, workers can be victimised. Our friend, Shri Sukomal Sen, was telling us about workers in coal-mines. Against the implementation of this particular section, workers in Andhra Pradesh went on strike for twenty days. The Chief Minsiter of Andhra Pradesh went there and declared that it would not be implemented in Andhra Pradesh. Only after that assurance, the strike was withdrawn. With the knowledge of the tenor of the section, the Government wants to retain it against workers to benefit the exploiting classes. The Government is aware that capital is flowing out of the country. Is it taking any action? The *Government promises on the floor of this* august House that worker participation in industry is one of the main items under the consideration of the Government. But has it been able to execute this particular idea which can build up a concerted effort for national reconstruction? It has failed to do so in the public sector; it dare not enter the corporate sector; it is not at all existent in the private sector. For anything workers are thrown out of their jobs. That is why unemployment is growing. That is why poverty is growing. I request this august House to take note of these things. I also request the Central Government to take lessons from history and act in the spirit of our Constitution. Thank you, Sir.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री चतुरानन मिश्र ने एक बहुत ही छोटा और निर्दोष संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। अभी तक इसमें जितने भी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, सब ने इस संशोधन का समर्थन किया है। यह इस बात का सबूत है कि यह संशोधन निर्दोष है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए।

मान्यवर, पेमेंट आफ वेजेज एक्ट 1936 में पारित किया गया था और उस वक्त उसके कारणों में यह दिखलाया गया था

"......to regulate the payment of wages to certain classes of persons employed in industry....' और बाद में पर्सन्स एम्पलायड को सब्स्टीट्यूट कर दिया गया और फिर उसकी जगह एम्पलायड पर्सन हुआ। मतलब यह है कि शुरू-शुरू में जब यह 23 अप्रैल, 1986 मे लागू हुआ तो यह केवल उन्ही मजदूरो पर लागू हुआ जो किसी उद्योग मे काम करते थे। लेकिन बाद मे इसमें परिवर्तन कर दिया गया और यह कहा गया कि कोई भी मजदूर हो उस पर लागू किया जाना चाहिए। जो इसमे प्राविजो है केवल उसको हटाने के लिये, उसका डीलिट करने के लिये मिश्रा जी का यह संशोधन है। प्रोविजो में दिखाया गया है कि —

"Provided that subject to rules made in this behalf by the State Government, if ten or more employed persons acting in concert absent themselves without due notice and without reasonable cause, such deduction from any such person may include such amount not exceeding his wages for eight days as may by any such terms be due to the employer in lieu of due notice."

तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह प्रोविजो पहले जहां पर धारा 9 की उपधारा 1 इसमें इस बात का अधिकार दिया गया है कि जो मजदूर का वेतन है उसमें किन परिस्थितियों में कटौती की जा सकती है या उसकी तनख्वाह मे से काटा जा सकता है। लेकिन मान्यवर उसमें दिया हुआ है कि "may be made clause (b) of sub section (2) of section 7 of the Act. तो इसका जो सेक्शन 7 है वह इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन में इस बात की चर्चा की गई है। उसमें है कि :

Notwithstanding the provisions of sub-section (2) of section 4 of the Indian Railway Act, wages of an employed person shall be paid to him without

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

deductions of any kind except those authorised by or under this Act. Then it says:

"Deductions from wages of employed persons shall only be made in accordance with the provisions of this Act and may be made on the following ground only, namely, fine and deductions for absence from duty."

तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह कानून अंग्रेजों के जमाने मे बनाया गया था। हमारा संविधान जब बना तो उसमे भी सोशलिस्ट शब्द की चर्चा नही की गई। 1949-50 में यह लागू हुआ। लेकिन मान्यवर, जब संविधान के प्रियबंल को संशोधित किया गया तो उसमें सोशलिस्ट शब्द बढ़ाया गया।

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic ....."

तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अब हमारे सविधान मे भी समाजवाद शब्द बढ़ा दिया गया है। उसके प्रियबंल मे अब सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया है। लेकिन पेमेन्ट एण्ड वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत मजदूर चाहे एक घटे काम पर बैठे, एक दिन के लिये काम पर बैठे, दो दिन के लिये काम पर बैठे लेकिन हर सूरत में कम से कम आठ दिन के वेतन में कटौती होगी। यह बहुत ही दोषपूर्ण है। बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मजदूरो के साथ सरासर अन्याय है। हम लोग मजदूरों को प्रतिष्ठा देते है। डिगनिटी आफ लेबर की हम बात करते हैं। हमारे देश में जो सरकार है उसके द्वारा भी पहली मई को मई दिवस मनाया जाता है। उस दिन रूस की तरह मई दिवस मनाया जाता है और सारी दुनियां के मजदूरों, और भारत के मजदूरो को प्रतिष्ठा देने का काम किया जाता है और नारा दिया जाता है कि सारी दुनिया के मजदूरो एक हो, भारत के मजदूरों एक हो। मान्यवर, यह जो प्रावधान है यह एक प्रकार से निरकुश प्रावधान है और यह मजदूरो की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। हमारे कानूनों में, हमारे व्यवहार में समानता होनी चाहिए लेकिन यहा पर असमान व्यवहार हो रहा है। एक दिन अगर कोई मजदूर काम पर न जाये और उसको आठ दिन का वेतन काटा जाय यह बात बहुत दोषपूर्ण है। ... (व्यवधान) ...

तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था अगर मजदूर काम पर नही जाता है, हड़ताल करता है तो आखिर हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकारो मे से है। उनको हड़ताल करने का हक है। जिस दिन वह काम पर न आये उस दिन की आप उनकी तनख्वाह काटिये इसका किसी माननीय सदस्य ने विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल इस बात पर जोर दिया है जितन दिन मजदूर काम न करे केवल उतने दिन की तनख्वाह आप काटिये। लेकिन वह भी किन परिस्थितियों मे हुआ है इसके कारणो में भी आपको जाना पड़ेगा। मजदूर क्यो काम पर जाने मे हिचकिचाता है, किन चीजों से बाध्य होकर मजदूर को हड़ताल करनी पडती है विस्तार में इसके कारणो मे जाने का इस वक्त समय नही है।

मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि यह बहुत निर्दोष विधेयक है इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिय। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध मे यह भी है कि जैसे अभी कल्पनाथ राय जी ने कहा इस देश में वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए वेज बोर्ड के सम्बध में एक बचावत आयोग बैठाया गया है। मुझे यह याद नही है कि यह आयोग किस तारीख को बैठाया गया था लेकिन इतना मुझे जरूर याद है कि बचावत आयोग को जो रिपोर्ट देने के लिए तारीख दी गई थी उसमें चार-पाच बार वृद्धि की जा चुकी है। पिछले दिनों अभी वृद्धि की गई है। मै इस सशोधन

विधेयक पर विचार व्यक्त करते हुए यह भी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए बचावत आयोग बैठा रखा है उसका अब और समय न बढ़ाएं । आपने आश्वासन भी दिया था कि उसकी रिपोर्ट आने वाली है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न कभी बचावत आयोग की रिपोर्ट सरकार के सामने आएगी और न सरकार कोई निर्णय ले सकेगी । इस पर भी जरूर ध्यान दिया जाए । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि सरकार इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करने की कृपा करेगी । धन्यवाद ।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, I rise to support the amendment Bill moved by Shri Chaturanan Mishra. The Bill is not only an anachronism but it is a blot in the Statute Book of our country. The reasons have already been advanced by those who have spoken earlier than me. Apart from this, I would like to draw the attention of the Labour Minister to the spirit of the Constitution of our country. As a matter of fact, this piece of legislation was framed at a time when our country was not free and free country's Constitution was not there But my endeavour would be to show that the Bill, that proviso. is counter to the spirit of the Constitution of the country which is now in force.

I draw the attention of the Labour Minister to article 19(c) of the Constitution and also article 14 about equality before law. Now, although the right to strike has not been included in that phrase, in that manner, in the Constitution, the right to strike is a fundamental right by implication Article 19(c) says that we have got the fundamental right to form association and union. If the right to form association and union is a fundamental right, if the right to freedom of speech and expression is also another fundamental right. by implication the right to strike is also a fundamental right flowing from article 19(a) and 19(c). My contention is that the proviso is counter to the spirit of the Constitution, namely, the right to strike as a fundamental right, because it is stated in the proviso; that is to say, without giving notice which is required under the terms of their contract of employment, that is, if they go on strike, if more than 10 people go or refuse on a particular day, if they strike. Then the deduction of their wages can be made and it should not exceed 8 days, wages. Here the question is not of 8 days. Of course, Malaviya Ji says that and I don't agree with him. If a worker goes on strike, then he can be punished and there may be a wage deduction for the period of the strike.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I have not said that.

SHRI CHITTA BASU. My question is that if I have gone on a legal strike and if I have struck work after giving notices by due process of law, then deduction of one hour's or one minute's wages will be an illegal punishment. There fore, my point is that the existence of this provision is not only an anachronism, not only a blot on the Statute Book, but it runs counter to the spirit of the Constitution of a free country like India particularly because of the fact that this piece of legislation was enacted when we had no Constitution of our country as free India. Therefore, I feel that the Government should have had no objection, should not at all refuse, to acept the justifiability of the amendment which has been sought by the Bill and, therefore, they should agree to it.

I shall not take much of your time. I would take this opoprtunity to draw the attention to an important event in our country in West Bengal Now, the public sector employees and workers in West Bengal are going on an indefinite strike from the 23rd of this month. Today is the 20th of November. The reason is quite well known to the Labour Minister. He entered into an agreement that there would be payment of interim relief both to the employees and the workers and also to the officers. But that agreement is not being implemented by the Government

[Shri Chitta Basu]

of India in relation to West Bengal employees and workers. The fact is that the officers have been granted interim relief. Now the agreement is both for the workers, the employees and the officers at the all-India level. What is the reason? I want to know why that agreement is not being implemented in the case of Government of India's public sector units in West Bengal involving about one lakh workers. Also, it is paradoxical that the officers of West Bengal public sector units run by the Government of India have been granted and already paid the interim relief. Now, is this the way of seeking cooperation from the workers and employees? Is this the way to have workers' participation in management? Unless there is a willing, voluntary and overall participation by the public sector workers in the public sector undertakings, the public sector undertakings will go down the drain. So, there is a conspiracy in our country to denigrate the public sector. They want that the private sector should be praised. They want that the private sector should be praised. They want that the private sector should be further strengthenend. They want the denigration of the public sector. There are lobbies which want to denigrate the public sector I think they are more active in not allowing the public sector employees and workers in West Bengal to get the benefit of the agreement. It is not a private employer. The Government of India is the employer in the case. In this case the Central Government is the employer, and the Central Government wants that the workers should co-operate, the workers should see that more and more resources can be mobilised for the public sector industries And it is also an objective of the 7th Five Year Plan that the resource mobilisation should come in a very large way from the public sector.

SHRI KALPNATH RAI (Uttar Pradesh): How?

SHRI CHITTA BASU: I will never join issue with you. उनको समझाने को कोई हिम्मत हमारे पास नहीं है। Let him understand it himself.

Therefore, Sir, I take this opportunity and seek a clarification from the hon. Labour Minister as to what the reasons are for non-fulfilment, non-implementation of the agreement in West Bengal public sector industries. Today is 20th, 23rd is the date of strike. Even at this last stage, I would request the Labour Minister to intervene and see that the strike is not forced upon them. And the strike which will involve about one lakh employees and workers will cause loss of production and ultimately loss to the economy. Therefore, I would request him to clarify this point and I would appeal to him that he should make an appeal, make an intervention and see that the strike does not take place and this problem is emicably settled before actually the strike takes place. Thank you, Sir.

SHRI TRIDIB CHAUDHURI (West Bengal)· Sir, I do not want to take much time of the House because this is a short and simple Bill. Already a number of Members who spoke before me made out a very convincing case for the acceptance of the proposal made by our friend and experiened trade union leader, Shri Chaturanan Mishra Sir, here the proviso that is sought to be deleted by Mr. Mishra's Bill provides—'if the due notice is not given' *i.e.*, "if ten or more employed persons acting in concert absent themselves without due notice (that is to say without giving the notice which is required under the terms of their contracts of employment)" That is one of the conditions. The second condition is—"without reasonable cause". Even if the notice is given, Sir, it is our experience that that notice is never accepted as legal And, secondly, it is said. "if ten or more employed persons absent themselves without a reaonable cause." Who is to decide whether the cause is reasonable or not? And in most cases the decision is in the hands of the employers or of the Labour Departments of the State Governments or in some cases the Central Government, and the cause is never found reasonable.

So, Sir, this is a long over-due measure which is now proposed by our friend, Shri Mishra. And nobody who has spoken

up till now has spoken against this Bill. I appeal to the Government and to the Labour Minister to straightway accept the Bill and if he is not in a position to immediately accept the Bill I would appeal to him to have a meeting of the Central trade union leaders called and discuss with them this particular provision, simple provision. There should be no difficulty in his accepting this thing even straightway today. Thank you.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो हमारे मित्र श्री चतुरानन मिश्र जी ने यह मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1985 प्रस्तुत किया है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और साथ ही चाहता हूं कि सरकार सभी विरोधी दलों के साथियो को बुलाकर हमारे श्रम मंत्री इसको एक्सैप्ट कर ले। चाहे इस समय कर लें और चाहे अगल सैशन में कर लें, मगर इस काम को कर देना चाहिए।

मैं आदरणीय श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब से वह हमारे मित्र श्रम मंत्री बने हैं तब से इन्होंने मजदूरों के कल्याण के संबंध में ठोस और समबद्ध कदम उठाए है और इन्होंने पूरी कोशिश की है मजदूर जगत के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी काम किए जाए।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में लिखा है :

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens;

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Naton.

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-six day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

हमने इस संविधान के माध्यम से भारत को समाजवादी गणराज्य बनाने का संकल्प किया है और समाजवादी गणराज्य के साथ-साथ हमने जनतांत्रिक प्रणाली को, डेमोक्रेसी को, Government of the people, by the people and for tht people — के सिद्धांत को भी स्वीकार किया है। जिन मुल्कों में समाजवादी गणराज्य है, रूस, चीन, चैकोस्लोवाकिया या दुनिया के कम्युनिस्ट देश, उन देशों मे जनतंत्र नहीं है और दुनिया के बहुत से देश जहां पर जनतंत्र है वहां समाजवाद नहीं है। द्वितीय महायुद्ध ने दो राक्षसी संतानो को जन्म दिया, "युद्ध और गरीबी"। तीसरी अक्षांश के उत्तर के रहने वाले यूरोप के देश जहां धन धान्य पूर्ण है वहां एशिया, अफ्रीका और दुनिया के साम्राज्यवादी और पूंजीवादी देशों के जो शिकार है वे गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता के दौर से गुजर रहे हैं। अब दुनिया के अन्दर बहुत सी बातें रूस ग्रहण कर रहा है प्राइवेट सैक्टर की चीजों को और पूंजीवादी देश बहुत सी चीजें समाजवादी प्रणाली मे जो अच्छी हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं यानी पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया की प्रणालियां एक-दूसरे से सहयोग भी कर रही हैं। और एक दूसरे से मिलकर उनकी प्रणालियों को अपने-अपने देश के अन्दर इण्ट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। हमारा ही एक मुल्क है, जहां कि हमारा संविधान बनाने वालों ने आजादी की लडाई के दौरान ही, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, जय प्रकाश नारायण या आचार्य नरेन्द्र देव या डा. लोहिया जैसे बडे-बडे राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने उसी दौरान ही संकल्प किया कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, यह देश कैसा होगा ? उसी दौर में हमने समाजवादी जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की स्थापना का संकल्प लिया था। आज एक बहुत बड़ा सवाल दुनियां के सामने कि जनतंत्र के माध्यम से समाजवाद के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाये और समाजवाद की स्थापना के साथ-साथ जनतंत्र को भी

[श्री कल्पनाथ राय]

कैसे कायम किया जाये? यह एक बहुत बड़ा बुनियादी प्रश्न है दुनियां के साथ पोलिटिकल थिंकर के सामने या उन नए नेताओं के सामने जो अपने मुल्कों में इस प्रणाली की स्थापना करना चाहते हैं।

अगर मुझसे पूछा जाये मान्यवर, तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान को शक्तिशाली मजबूत, समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए 10 वर्षों तक हिन्दुस्तान में कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए। मेरी राय तो यह है कि दस साल के लिए हर तरह की हड़ताल पर, तालेबंदी पर, घेराव पर पाबंदी लगाना चाहिए और इस काम में सरकार के साथ सभी राजनीतिक दलों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। हां, एक सवाल उठ सकता है, पूंजीवादी और यह बड़े-बड़े जो मोनोपोली हाउसेज के लोग हैं, जो मजदूरी कम देते हैं, मजदूरों का शोषण करते है, इनके यहां हड़ताल होनी चाहिए, यह तो बात मेरी समझ में आती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के कारखाने घाटे में क्यों चल रहे हैं? पब्लिक सैक्टर में हड़ताल क्यों की जाये? अगर समाजवाद की स्थापना आपका उद्देश्य है और समाजवादी गणराज्य की स्थापना आप करना चाहते हैं विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो पब्लिक सेक्टर को चाहते हैं — The public sector should occupy commanding heights of the economy. उन मित्रों से मेरा कहना है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करे कि आखिर पब्लिक सेक्टर घाटे मे क्यों चल रहा है और पब्लिक सेक्टर में अपने मुल्क में क्यो यह हड़ताल या सत्याग्रह या आंदोलन या घेराव या प्रदर्शन का काम किया जाये?

बिरला, टाटा, डालमियां, सिंघानियां की मिलों में अगर हड़ताल करते हैं तो थोड़ी देर के लिए समझ में आता है कि आप पूंजीवाद के खिलाफ हैं, मोनोपोली-हाउसेज के खिलाफ हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ हैं, इसलिए यह काम कर रहे हैं। लेकिन यह बात समझ में नही आती कि जब समाजवाद की आप बात करते हैं तो हिन्दुस्तान में जो पब्लिक सेक्टर इकोनोमी का निर्माण हम कर रहे सन् 1947 से भूखे नंगे, कंगाल हिन्दुस्तान में जब पब्लिक सेक्टर की नींव डाली और उसको मजबूत करने की कोशिश की तो फिर इस पब्लिक सेक्टर यूनिट में घाटा क्यों? यह हड़ताल क्यो? घेराव क्यों? प्रदर्शन क्यों? तालाबंदी क्यों? इसको मजबूत कैसे किया जाये, इस प्रश्न के ऊपर एक राष्ट्रीय मतैक्य होना चाहिए। हिन्दुस्तान के सारे राजनीतिक दलों को कम्युनिस्ट पार्टी की अध्यक्षता में यह विचार-विमर्श करना चाहिए। मैं तो आपको चेयरमैन बनाने को तैयार हूं चतुरानन मिश्र जी, कि आपकी अध्यक्षता में यह बात तय की जाये कि हिन्दुस्तान में पब्लिक सेक्टर म इकोनोमी कैसे मजबूत हो ... (व्यवधान) ...

श्री चतुरानन मिश्र: पब्लिक सेक्टर का चेयरमैन आपको बना दे...

श्री कल्पनाथ राय: नहीं आपको ... (व्यवधान) ....

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते): दोनों मिलकर तय कीजिए।

श्री कल्पनाथ राय: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सेक्टर की इकोनोमी को मजबूत बनाने के लिए सभी राजनैतिक दल श्री चतुरानन मिश्र की अध्यक्षता में एक हफ्ते बैठकर विचार करें कि हिन्दुस्तान में पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाये। इसकी एनोमोलिस क्या हैं, कमियां क्या हैं उनको कैसे दूर किया जाये? कैसे हिन्दुस्तान में श्रम शक्ति का इस्तेमाल भारत में समाजवाद को मजबूत बनाने में किया जाए? यह एक बुनियादी प्रश्न है। बी० टी० रणदिवे, डांगे जी और श्री प्रदीप चौधरी जी जो यहां बैठे हैं ये सारे लोग इस प्रश्न के ऊपर बुनियादी ढंग से विचार करें ये मत भूलिये। कि हिन्दुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जहां समाजवाद के साथ जनतंत्र की स्थापना का हमने निर्णय किया है और 40 वर्ष से इस देश में जनतंत्र चल रहा है। रूस और चीन में कभी हड़ताल नहीं होती। वहां 400 मिलियन टन

अनाज पैदा हो रहा है। चीन में सौ मिलियन टन लोहा पैदा हो रहा है। कभी रूस में हड़ताल नहीं हुई। पिछले 60-70 साल में कभी घेराबंदी या तालाबंदी नहीं हुई। उन्होंने कभी अपने प्रोडक्सन को कम नहीं होने दिया। लेकिन वही बात आप हिन्दुस्तान में क्यों करना चाहते हैं। यदि आप प्राईवेट सेक्टर में यह बात करते हैं तो बात समझ में आ सकती है लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्यों करते हैं? पब्लिक सेक्टर की बर्बादी करने पर क्यों लगे हुए हैं। इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चाहे कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रहे न रहे या आपकी हुकूमत बन जाये लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हिन्दुस्तान की जो आज हालत है उससे भी बदतर हालत मे ले जाना चाहते हैं। आज मुल्क में जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, नेशनल स्टेबिलिटी है, एकता है, जो कुछ जनतंत्र चल रहा है, उससे भी ज्यादा कन्फ्यूजन आप करना चाहते है। हिन्दुस्तान का कम्युनिस्ट तो दिवालिया ही रहेगा। भटकाव की राजनीति का उन्होने अनुसरण किया है। उन्होने कभी जनता के मन के अनुरूप कदम नहीं उठाया है। जब हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी तब इस देश के कम्युनिस्ट महात्मा गांधी जी और नेहरू जी को साम्राज्यवाद का एजेंट कहने लगे और खड़े हो गए साम्राज्यवादियो के साथ। पाकिस्तान के बनने का वे समर्थन करने लगे। जब देश आजाद हुआ और अब इस देश मे इतनी गरीबी है तो कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत मजबूत होना चाहिए था लेकिन वह सबसे कमजोर पार्टी है, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। हिन्दुस्तान जहां कि 30-40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, जहां कि सबसे ज्यादा गरीब है वहां, कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर हो, यह इस बात को साबित करता है कि कम्युनिस्ट न तो भारत की जनता का भला चाहते थे और न चाहते हैं। सन् 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय हिन्दुस्तान भूखा, नंगा और कंगाल था तब आपके बी० टी० रणदिवे के नेतृत्व में आपने मार-काट और खून-खराबे का नारा दिया। जो देश की जर्जर अर्थ व्यवस्था थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की। लेकिन भारत की जनता ने आपकी लाइन को स्वीकार नहीं किया। फिर 1962 से लेकर जब चीन का हमला हुआ तब आपने भारत की जनता का साथ नहीं दिया। फिर 1966-67 आते आते कांग्रेस हटाओ देश बचाओ में आप शामिल हो गए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : 75-76 में क्या किया?

श्री कल्पनाथ राय : कम्युनिस्ट पार्टी की और पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। सन् 67 में फिर आपने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ की राजनीति को शुरू किया। फिर 69 आते-आते आपने जनसघ से पिण्ड छुड़ाया। सन् 71 में आप देश बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी के साथ खड़े हो गए। गरीबी हटाने के लिए खड़े हो गए 71 से 76 तक। आपने 77 में इमरजेंसी का भी समर्थन किया। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी जी हारी वैसे ही आपने हिन्दुस्तान के साम्राज्यवादियों के साथ गठजोड़ कर लिया और भानुमती के कुनबे जैसी जनता पार्टी बनी आप उसके साथ खड़े हो गए और आज पुन. मुल्क की एकता और अखंडता को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। आज सबसे बड़ा सवाल हिन्दुस्तान के सामने भारत की एकता और अखंडता का है।

दूसरा सवाल भारत से गरीबी को हटाने का है। इस दौड में जबकि आप को भारत की एकता और अखण्डता को बचाने के लिये, दुनिया में साम्यवाद को खत्म करने के लिये और उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिये, शस्त्रीकरण की होड़ को रोकने के लिये, दुनिया

[श्री कल्पनाथ राय]

में साम्राज्यवाद को कमजोर करने के लिये और निर्गुट आंदोलन को मजबूत बनाने के लिये आप को राजीव गांधी का साथ देना चाहिए तो आप जनमोर्चे की वकालत करने में लगे हुए है। फिर आप ने वही तोड़ा-तोड़ी की राजनीति करना शुरू किया और ऐसा कर के आप फिर देश को तोड़ने की, उस को विघटन की ओर ढकेलने की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे पब्लिक सेक्टर मजबूत होगा ? जिन ताकतों के साथ आप हाथ मिला रहे है वह ताकतें तो पब्लिक सेक्टर की दुश्मन है। कौन सी पार्टी है अपोजीशन को जो कहती हो कि पब्लिक सेक्टर आकुपाईज दि कमांडिंग हाइट्स आफ इकोनामी। आज जन मोर्चे की बात कम्युनिस्ट पार्टी करती है। सी पी आई एम और सी पी आई, ये आर दी नेचुरल एलाइज, लेकिन जब वह कम्युनिस्ट पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री थे तो हिन्दुस्तान के प्राइवेट सेक्टर को मजबूत बनाने के लिये जितना काम उन्होंने किया उतना काम किसी और ने नहीं किया। मल्टी नेशनल कंपनियों को भारत मे आने का जितना बड़ा निमंत्रण उन्होंने दिया वैसा निमंत्रण किसी और ने नहीं दिया। यहां लिबरलाइज इंपोर्ट और लांग टर्म फिजिकल पालिसी से जितना लाभ उन्होंने पूंजीपतियों को दिया और मोडवेट के सिद्धांत को लाकर पूंजीपतियों को जितनी मदद उन्होंने की उतनी किसी और ने नहीं की और 1984-85 और 1985-86 और 1986-87 मे जितना वे पूंजीपतियों की तरफ झुके हुए थे और जिस आदमी ने साम्यवाद और समाजवाद की ताकतों का खुलेआम विरोध किया कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री की हैसियत से आप उससे हाथ मिला रहे है। आप कैसे पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं। यह एक बुनियादी सवाल है। सवाल इस बात का नही है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी, आप सत्ता में चले आयेंगे या नहीं यह तो जनतंत्र का राज है। यहां कभी सत्ता में कांग्रेस रह सकती है, कभी आप रह सकते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप की नीति क्या होगी। आप के कार्यक्रम क्या होंगे। आप के दल की नीतियां क्या होंगी। आप के सिद्धांत क्या होंगे। आप के दीर्घकालीन कार्यक्रम क्या होंगे। राजनीति एक दीर्घकालीन धर्म है और धर्म भी एक दीर्घकालीन राजनीति है। तो यह बुनियादी प्रश्न है। आज बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। सब से ज्यादा भुखमरी और गरीबी बंगाल में है। आज तक आप वहां लैंड रिफार्म लागू नहीं कर सके। आप ने हिन्दुस्तान की जनता के सामने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिस से वह आप के साथ हो, कि वह समझे कि आप यहां की गरीबी हटाना चाहते हैं। तो मैं इसलिये चेतावनी दो, आप से कहना चाहता हूं कि दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उस को मद्दे नजर रखते हुए हिन्दुस्तान के राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक, पोलिटिकल दिशा निर्धारित करनी होगी। आज सब से बड़ा सवाल दुनिया की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है। आज दुनिया मे साम्राज्यवाद आक्रामक हो रहा है, आज दुनिया में नस्लवाद आक्रामक हो रहा है आज दुनिया में नव-उपनिवेशवाद अपने दांत दिखा रहा है जो साम्राज्यवादी मुल्कों के आधार पर है। इस साम्राज्यवाद को दुनिया के पैमाने पर कौन सी ताकतें कमजोर करेंगी ? विश्व शान्ति को कौन मजबूत करेगा ? साम्राज्यवाद को दुनिया में कौन कमजोर करेगा ? जो राजनीतिक मुक्ति चाहते हैं और नवजीवन के इच्छुक है उन को कौन ताकत प्रदान करेगा ? दुनिया मे साम्राज्यवाद के खिलाफ रूसी समाजवाद के साथ कौन ताकतें होंगी, यह ऐसे प्रश्न हैं जिन के ऊपर व्यापक संदर्भ में आप को विचार करना पड़ेगा। मैं आप से निवेदन

करना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान एक विकासशील देश है। इस समय एशिया और अफ्रीका के सैकड़ों मुल्कों में जनतंत्र आया है उसका गला घोंट देना क्या ठीक होगा ? क्या वहां फौज। तानाशाही स्थापित हो यह ठीक होगा। आज दुनिया के एक तिहाई हिस्से में पूंजीपति ताकतें मौजूद हैं। उन की हकूमतें वहां कायम हैं। दुनिया के सैकड़ो देश 168 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। दुनिया में दस, बारह देश ऐसे है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं और 15, 20 देश कम्युनिस्ट खेमे में हैं। पांच दुनिया के बड़े औद्योगिक देश हैं, इंडस्ट्रियल नेशन्स हैं। करीब सौ विकासशील देश है जो निर्गुट सम्मेलन में है और जिनका नेता भारत है। भारत की तरफ विकासशील देशों की निगाहें इस आशा से लगी रहती हैं कि भारत उनकी मदद करेगा दुनिया में जहां जहां भी मुक्ति का संघर्ष चल रहा है, भारत उसका समर्थन कर रहा है, दुनियां में रंगभेद की नीति का खुल्लमखुल्ला भारत विरोध कर रहा है भारत शोषण का विरोध कर रहा है, और आजादी की लड़ाई का समर्थन कर रहा है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत आज खड़ा है भारत ने हमेशा चीन को यूनाइटेड नेशंस में प्रवेश देने के लिए लगातार उसका समर्थन किया। तो पूरी दुनिया के संदर्भ में जो पोलिटिकल पर्सपैक्टिव आपका होना चाहिए, कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, हमारे वामपंथी मोर्चे का, उसको आप अपनाएं, कांग्रेस पार्टी की जगह कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए, तो यह मैं समझता हूं कि अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस जाए और साम्राज्यवादी पार्टियां यहां आ जाएं, यह अच्छी बात नहीं है, इस बात को कोई वामपंथी विचाराधारा वाला व्यक्ति सहन नहीं करेगा इसलिए आप कांग्रेस विरोधी नीति को छोडिये समाजवादी नीति को बढ़ाने के लिए अपनी नीति को सुधारिए। कांग्रेस पार्टी की समाजवाद में निष्ठा है। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान ने अपने संविधान में संशोधन करके इसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सैक्युलर रिपब्लिक बनाया। इंडिया इज कमिटेड फार सोशलिज्म। भारत के संविधान में कहा गया है--इंडिया विल बी ए सोशलिस्ट, सैक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज कमिटेड फार सोशलिज्म, सैक्युलिज्म एण्ड डेमोक्रेसी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप समाजवाद के लिए कटिबद्ध है तो समाजवाद की दुश्मन ताकतों को बल क्यों दे रहे हैं ? कांग्रेस पार्टी का विकल्प आप बन जाइए, कम्यूनिस्ट पार्टी बन जाएं, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी बन जाए, राजीव गांधी जाए तो नंबूदरिपाद आ जाए, वे प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन राजीव गांधी जाए और साम्राज्यवादी ताकतें मजबूत करने वाले, अमरीकी परस्त लोग आ जाए जो कि देश को अंधेरे की गलियों में डुबाना चाहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, जो मोनोपली हाउसेज को बढ़ाना चाहते हैं, जो अमरीकी ताकतों का वर्चस्व चाहते है, ऐसी ताकतों को बढ़ावा आप देंगे तो हिन्दुस्तान की जनता का क्या होगा ?

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज तो कांग्रेस पार्टी में भी वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग आ गए हैं और उनका संघर्ष कांग्रेस पार्टी में भी चल रहा है क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति मेम्बर बन सकता है। राजीव गांधी जी ने रजवाड़ो के खिलाफ कार्यवाही की तो नागालैंड में कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी वामपंथी विचारधारा के साथ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सर्वहारा लोगों के कल्याण के लिए काम कीजिए। उनके कल्याण के लिए किए जाने वाले कामों को समर्थन दीजिए। उनके कल्याण के लिए किए जाने वाले कामों को समर्थन दीजिए। आप प्रोलिफरेट को मजबूत बनाईये। प्राइवेट सेक्टर को खत्म करके पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे मजबूत कीजिए। लेकिन मजबूत बनाने के साथ साथ आप साम्राज्यवादी ताकतों का साथ मत दीजिए।

[श्री कल्पनाथ राय]

इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय चतुरानन मिश्र जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक की मंशा की प्रशंसा करता हू और आशा करता हूं कि वे समाजवादी ताकतों को बल देने और मजबूत करने के लिए अपनी नीति को सुदृढ़ करेंगे।

धन्यवाद।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jamu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, although I myself have leftist leanings and my party, the National Conference, is also a leftist party and our flag is red with a plough in it, yet, I am afraid, I am not in agreement perhaps it may sound startling — with Shri Chaturanan Mishra for deletion of this proviso in the Payment of Wages Act, 1936, as he has propounded in his Bill. I say this because some kind of discipline is really needed in all the undertakings, whether they be in the public sector or in the private sector. I do not know—Mr. Chaturanan Mishra may, perhaps, enlighten me—if it is possible for workers in any east European country or the Soviet Union or China to do such a thing and not get punished for it. I do not know: he may say something. But, I am afraid, I am not in agreement with him and I do not think this proviso can be deleted. The reason is simple.

Section 9 (1) of the Payment of Wages Act, 1936, says:

"Deductions may be made under clause (b) of sub-section (2) of section 7 only on account of the absence of an employed person from the place or places where, by the terms of his employment, he is required to work, such absence being for the whole or any part of the period during which he is so required to work."

Sub-section (2) of section 9 is very important here and that is to be understood. If I have not understood it correctly, the honourable Minister is here and he will, during the course of his reply, enlighten me if I am wrong. Sub-section (2) of section 9 says:

"The amount of such deduction shall in no case bear to the wages payable to the employed person in respect of the wage-period for which the deduction is made a larger proportion than the period for which he was absent bears to the total period, within such wage-period, during which by the terms of his employment, he was required to work."

This gives enough guarantee, enough protection to the worker. So, with regard to sub-section (2) I am in agreement that it must remain there. The only difficulty with me is that I am not agreeable to delete this part of the proviso, which says:

"Provided that, subject to any rules made in this behalf by the State Government, if ten or more employed persons acting in concert absent themselves without due notice.. "

Sir, my contention is, if we have to inculcate healthy trade unionism in this country, it should be on sound, constructive and legal lines. If their cause is right, why shouldn't they give due notice? If they give due notice, then it is legal. Then they have got to get their wages for that period.

श्री चतुरानन मिश्र : अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं...

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Minister Saheb...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Yes, I am hearing.

श्री चतुरानन मिश्र : सब-क्लाज 2 ही क्लीयर हो जाता है कि हमारी डिडक्शन होगी। लेकिन मेरा कहना है कि एक दिन हम गैर-हाजिर हो जायें तो 8 दिन वेजेज मत काटिये एक दिन का ही काटिये। ऐसा प्रोविजो है "....amount not exceeding his wages for eight days.. और कुछ हमारा एतराज नहीं है।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I am sorry, Mr. Mishra. If I am right, you have said that in section 9 (2) of the Payment of Wages Act, 1936, the proviso shall be *omitted*.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Yes.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: According to this Bill of yours, you want the entire provision to be deleted.

SHRI CHATURANAN MISHRA: No, only the proviso.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: That is what I am telling.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Not sub-section (2): that remains.

उपसभाध्यक्ष (डा॰ बापू कालदाते) : आप मेरी तरफ देख करके बोलिये । उन्हें छोड़ दीजिए ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: That is, without due notice. It says, without giving due notice which is required under the terms of their contracts of employment and without reasonable cause. This is very reasonable. How can you delete it? It has now come with another clarification, that is, "....such deduction from any such person may include such amount not exceeding his wages for eight days as may by any such terms be due to the employer in lieu of due notice." The idea, according to my understanding under this is, if the strike continues for 10, 20, 30 or 40 days, the deduction will be only for eight days. Am I right?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Mattoji let us not have a question-answer session. The Minister will reply to him.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I am trying to clear the other side.

The other side means "eight days."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Leave it. Whatever you have understood, please try to explain. It does not matter.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I am clear in my mind. I am going to support him. I agree to this proviso:

> "Provided that, subject to any rules made in this behalf by the State Government, if ten or more employed persons acting in concert absent themselves without due notice (that is to say without giving the notice which is required under the terms of their contracts of employment) and without reasonable cause,. ... "

I am agreeing to this proviso up to this point.

Mr. Chaturanan Mishra has referred to:

> "...such deduction from any such person may include such amount not exceeding his wages for eight days as may by any such terms be due to the employer in lieu of due notice."

He says that if a worker absents himself for less than eight days, still eight days wages will be deducted I would like the hon. Minister to clarify this kindly. I have one difficulty in understanding the proviso of this Act. So far as this proviso is concerned, I think, up to the point I have read, it is correct, and I support it. His contention is, if anybody goes on strike for one day only, the deduction will be his wages for eight days. My surmise is that if it is over 10 days, 20 days, 30 days, the deduction will be only wages up to 8 days. It is for the Minister to clarify it.

But, what has the hon. Minister to say to this point? If the strike is for less than eight days, will 8-days' wages still be deducted? If so, then it is an obnoxious provision. Then, that needs to be amended.

If a person or a group of persons, though they may have committed a default, goes on strike for a day or up to eight days, still their wages for eight days will be deducted, then, this needs to be amended. I would like the hon. Minister to clarify. But, so far as this part of the proviso, that is up to the words "without

[Shri Ghulam Rasool Matto]

reasonable cause" is concerned, I agree on this. It should remain in the interest of healthy trade-unionism in the country.

With this observation, I would request the hon. Minister to clarify this so that Mr. Chaturanan Mishraji, if he is satisfied with the hon. Minister clarification, may withdraw his Bill. And if the hon. Minister is satisfied with the explanation I have given, he may amend the Act accordingly.

Thank you very much, Sir.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, पंडित चतुरानन मिश्र जी ने मजदूरी संदाय विधेयक, 1936 का और सशोधन करने के लिये जो मजदूरी सदाय (संशोधन) विधेयक, 1985 रखा है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

महोदय, इसके उद्देश्यो और कारणो के कथन के अन्तर्गत कहा गया है कि :

'यह परन्तुक, जिसे हटाये जाने का प्रस्ताव है, अंग्रेजो के शासन काल के दौरान अधिनियमित किया गया था। भारत के गणराज्य बन जाने के पश्चात् औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे विभिन्न प्रगतिशील अधिनियम बनाये गये है। यह परन्तुक इस समय लागू विभिन्न श्रम विधियों में दी गई प्रसुविधाओ की भावनाओं के प्रतिकूल है। अत: इसे तुरन्त हटाए जाने की आवश्यकता है।'

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जो उपबंध है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, 'श्रमेव जयते' हमारा राष्ट्रीय नारा है। श्रम की जय हो, सत्य की जय हो। श्रम की जय अर्थात् कर्मवाद मे देश विश्वास करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

काम करो उसका फल क्या होगा इसकी चिन्ता मत करो। अगर आदमी काम करेगा मेहनत करेगा पसीना अपना बहायेगा तब जो उसका फल मिलेगा वह लाभदायक ही सिद्ध होगा। श्रम का शोषण बन्द होना चाहिए। सारी मानवता के बीच से श्रम करने वालो का जो शोषण है वह बन्द हो, इसके लिए हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आज प्राईवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात अभी चल रही थी। हमे अनेक ऐसे उद्यमो के निरीक्षण का अवसर मिला है जो सरकारी उपक्रमो के अन्तर्गत काम करते है और उन मे जो एग्जीक्युटिव हेड्ज है वे अपनी परेशानियों से जूझ रहे है और मजदूर अपनी परेशानियों के कारण शान्ति का अनुभव नही करते है। इसका कारण है कि परस्पर स्वामी और सेवक मे जो मानसिक एकरूपता होनी चाहिये जो परस्पर हृदय की भावनाओ एवं विवेक के चिन्तन का दोनो मे समन्वय होना चाहिये उसकी कमी के कारण सारे लेबर डिस्प्यूट्स उपस्थित होते है और सब से बड़ी चीज है कि हम राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने अपने दलो का नारा लगवाने के लिए अपना अस्तित्व उन मजदूरो मे जो उत्पादन करते है अपना पसीना गिरा कर राष्ट्रीय उद्यमो के निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर कर के सब कुछ उत्पादित करते है उनके बीच में हम राजनीतिक दल के लोग अपनी-अपनी यूनियस बना कर के उन्हे अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग मे लाते है। यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति है। आज देश में जो सरकारी उद्यम है उन मे से अधिकांश बीमार पड़े हुए है। बहुत सी कपड़ा मिलें आज सिक यूनिट्स के रूप में पड़ी है। बहुत से हमारे उद्यम ऐसे है जो उन मे काम करने वाले लोग हैं वे प्राईवेट सेक्टर के लोगो का काम करते है और तनख्वाह हम से लेते है। अभी कुछ महीने पहले मैं आई० डी० पी० एल० हरिद्वार ऋषिकेश यूनिट मे था। वह यूनिट करोड़ो करोड़ रुपये घाटे में चल रही है। उसके एग्जीक्यूटिव हेड से मैंने पूछा कि इसका क्या कारण है क्यों घाटे मे चल रही है ? उन्होने स्पष्ट कहा कि साहब

हमारे जो सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव है उनकी संख्या 400 है और उनकी एक फेडरेशन भी है। हम जो उत्पादन करते है उसका आर्डर बुक करने का जिम्मा उनका है और जब आर्डर बुक न कर के कुछ और काम वह करते है जब एक्शन लेते हैं तो फेडरेशन बीच मे आ जाती है। फेडरेशन इसलिए बीच मे आ जाता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड उनके कार्यो मे दखल देते है। वे काम तो करते है सरकार के उद्यम मे, तनख्वाह लेते है सरकारी उद्यम से निष्ठा उनकी सरकारी उद्यमो के प्रति होनी चाहिए लेकिन जो प्राईवेट सेक्टर की दवाए बनाने वाली कम्पनिया हैं रिकार्ड मे नही रिकार्ड के बाहर उनका आर्डर बुक करते है और सरकारी उद्यमो के उत्पादन का आर्डर बुक ही नही करते है और ऐसी फेडरेशस ऐसी लेबर यूनियंस सगठन इस देश के मजदूरो का इस देश का हित-चिन्तन नहीं कर सकते है। उत्पादन राष्ट्रीय हो और सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव प्राईवेट लोगो का आर्डर ले तो यह कितनी बड़ी विडम्बना है, कितना बड़ा कामचोरी का मामला है। तनख्वाह तो हम सरकार से ले उद्यम विशेष से ले आर्डर उसके लिए बुक करने का स्वांग करे और आर्डर बुक करे प्राईवेट कम्पनियो के लिए यह सब बन्द होना चाहिये।

हमारे भारत मे जहा एक पिन भी नही बनती थी परतन्त्रता के युग मे जहा बटन से ले कर सुई तक विदेशों से आयात होती थी। उस देश मे पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से स्वतत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ कल्पनाकर पडित जवाहर लाल नेहरू ने औद्योगिक तीर्थो की स्थापना की। अनेक औद्योगिक तीर्थो इस राष्ट्र मे निरतर स्थापित हुए जिन्हे हम कल कारखानो के नाम से भी सम्बोधित कर रहे हैं। उन कल कारखानो मे जो योजनाएं बनायी गयी उत्पादन के उस लक्ष्य के अनुरूप हम उत्पादन नही कर सके। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए हुआ कि जो काम करने वाले लोग है जो उत्पादन देने वाले लोग हैं उन्होंने ढंग से, जो उनका निर्धारित लक्ष्य था उसके अनुरूप काम नही किया, उत्पादन नही किया। ऐसी विषम स्थिति मे भी हमारी सरकार ने काम करने वाले को उसका जायज हिस्सा उसका जायज हक देने मे कभी कोताही नही की है। अभी दीपावली के आसपास 33 हजार मेगावाट के आसपास बिजली उत्पादन कर रहे है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के ओबरा थर्मल पावर, शक्ति नगर, रेनुकू अनपरा आदि इन सब स्थानों का मैंने दौरा किया था। पिछले वर्ष भी इन स्थानों का दौरा मैंने किया था। उस समय लेबर डिस्प्यूट था। अनेक प्रकार के मेकेनिकल असिस्टेंट्स के अभाव में जो उत्पादन होना चाहिए था वह नही हो रहा था। लेकिन सारे मजदूर नेताओ को, मजदूरों को, सामाजिक कार्यकर्ताओ को, विभिन्न दलों को और एक्जीक्यूटिव्स को सबको एक साथ बैठकर पिछले वर्ष मैंने उन सारी यूनिट्स मे उनकी बैठकें की और मजदूरो से साफ कहा कि तुमको बोनस तभी मिलेगा जब तुम उत्पादन बढ़ाओगे किसी के बहकावे मे मत आओ, कोई बाहरी आदमी हो, चाहे मैं हू, चाहे जनसंघ का आदमी हो, जनता पार्टी का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो किसी को घुसने मत दो, खुद तुम्हारा यह कारखाना है, तुम्हारा जो उत्पादन होगा जब अधिक पैदा करोगे तो वही लाभ तुमको विवश होकर देना पड़ेगा जो यूनिट है वह कही नही जायेगी और उपसभाध्यक्ष महोदय आपको जानकर खुशी होगी कि सारी यूनिट्स मे सारे जितने सीमेंट के भी वही कारखाने है सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन उन्ही स्थानो पर होता है, चुर्क, डाला, कजरहट, मिर्जापुर, इन स्थानो पर या बिजली उत्पादन के जो स्थान है वहां पर सभी जगह मजदूर धनतेरस के एक दिन पहले खुशी-खुशी बोनस ले रहे थे। एक्जीक्यूटिव खड़े होकर बोनस बंटवा रहे थे। उन्होंने

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

राष्ट्रीय उत्पादन में अपना सर्वस्व न्योछावर करके उत्पादन बढ़ाया, रिकार्ड मंगवाकर देख लीजिए। हम राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें दलों में बांटते है। यह बहुत बड़ा दुष्कर्म हम करते हैं। इसलिए माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर के उत्पादन हो रहे हैं उनसे क्यों प्राइवेट सेक्टर के उत्पादन अधिक होते है और पब्लिक सेक्टर के कम होते है, यह ध्यान देखें। इसका कारण है; जैसा श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने लिखा है :

"ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया दूर है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की,

एक दूसरे से न मिल सकें यह विडम्बना है जीवन की।"

मजदूर छोटी छोटी बातों पर इन्कलाब जिंदाबाद करके लाल झंडा लेकर घूमना शुरू कर देते है। करोड़ों करोड़ का रोज रोज का हमारा उत्पादन ठप्प हो जाता है। यह जो उत्पादन के पीछे हमारा "श्रमनेव जयते" का लक्ष्य है यह उसके साथ धोखा है अत्याचार है, अनाचार है। यदि मजदूर अपना पसीना गिराता है तो उसे स्वस्थ वातवरण मिलना चाहिए। बहुत से सरकारी उद्यमों में प्राइवेट उद्यमों में हमारे रेनुकूट में बिड़ला जी का उद्यम है इनमे प्रदूषण की समस्या व्यापक रूप से है और बार-बार आश्वासन देने के बाद भी इसको हल नही करते हैं और प्रतिवर्ष हमारे मजदूर बीमार पड़ते हैं। सीमेंट के उत्पादन में चूना और अन्य केमिकल्स वातावरण में सीमेंट के रूप में उड़ जाते है। सरकारी उद्यमों में कम से कम 10 प्रतिशत सीमेंट उड़ जाता है क्योंकि उसको प्रिजर्व करने का हमारे पास अति आधुनिक वैज्ञानिक उपाय नही है और वहां का मजदूर निरंतर अस्वस्थ ही रहता है।

उत्पादन क्षेत्रों में उसके रंध्र के माध्यम से, उसके श्वास-प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से सीमेंट, कोयला और अनेक उच्छिष्ट केमिकल्स उसके शरीर मे प्रवेश करते हैं और वह रुग्ण हो जाता है। तो रुग्णता से हमें मजदूरों को दूर रखना है और वह दूर होगी तब जब पर्यावरण मंत्रालय उस पर ध्यान दें और कड़ाई के साथ जो भी हमारे यूनिटस हैं, जो भी हमारे उत्पादन के स्थल हैं, वहां का वातावरण शुद्ध हो और अति आधुनिक वैज्ञानिक विधि से स्वच्छ, निर्मल और प्राकृतिक वातावरण हम मजदूरों को दे सकें।

जहां तक उत्पादन की बात है, इस देश का उत्पादन बड़ा है और मजदूर ने यह विश्वास कर लिया है कि जो राजनीतिक लोग हमारा उपयोग करके हड़ताल करवाते हैं, वह अनुचित करते हैं। वह राष्ट्र के उत्पादन में कमी करके जैसे कोई व्यक्ति देश की राष्ट्रीयता के प्रतिघात करता है, उसी तरह उत्पादन ठीक ढंग से न करके हम राष्ट्र के हित में काम नहीं करते है। यह भारत का मजदूर समझ चुका है और जितने प्रकार की सुविधायें हमारी सरकार ने मजदूरों को दी हैं, वैसी सुविधायें कम जगह मिलती हैं।

कलकत्ता में जाइये, हर सड़क पर चाहे बैंक यूनियन हो, चाहे लेबर की अन्य इकाईयों हों, उनकी यूनियन हों, झंडा लेकर इंक्लाब-जिंदाबाद एक फेशन की तरह जुलूस चलता है और अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि कम्युनिस्टों की अध्यक्षता में सारे राष्ट्र के मजदूरों के हित-चिंतन के लिए समिति बने—बने लेकिन हमारी निष्ठा, हमारे लक्ष्य, हमारा भाव-बोध, हमारे समस्त अस्तित्व समेत चिंतन की प्रक्रिया वह राष्ट्रीयता के आधार पर हो और बहुत से देशों ने जिन्होंने उन्नति की है, वहा कभी भी लेबर अनरेस्ट नही रहा है और लेबर अनरेस्ट करवाता कौन है? करवाते हैं

राजनीतिज्ञ लोग और इसलिए करवाते हैं कि अगर लेबर अनरेस्ट नहीं हुआ, तो उन्हें कौन पूछेगा और बहुत से नेताओं को, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं जानता हूं जो मजदूरों में बैठ कर मजदूरों की बात करते हैं, कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं सेठ से तुम्हारे लिए और सेठ उन्हें खरीद लेता है लिफाफा रुपयों का भर करके, अनेक प्रकार की सुख-सुविधाओं का आकर्षण उन्हें देकर मजदूरों के साथ दगा करने के लिए बिचौलिए यूनियन नेता को विवश करता है और ऐसे लालची लोग लेबर फ्रंट पर है, जो पूंजिपतियो से मजदूरो के श्रम का सौदा कर लेते हैं। ऐसे लोगों का बायकाट करना चाहिए, चाहे वह किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी यूनियन से हो। एक छूत की बीमारी की तरह, गी. बी. की तरह यह रोग लेबर मूवमेंट में बड़ी तेजी से पनपा है और इस घूसखोरी की चीज का समाहार होना ही चाहिए ...

जहां तक अब श्री चतुरानन मिश्र ने— "मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 से उद्धरण (1936 का 4) —

9. (1) धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन कटौतियां नियोजित व्यक्ति की उस स्थान या उन स्थानों से, जहां उसके नियोजन के निबंधनों द्वारा उससे काम करने की अपेक्षा की जाती है, उस अनुपस्थिति के कारण ही की जा सकेगी जो उस सम्पूर्ण कालावधि या उसके किसी भाग के लिए हो, जिसके दौरान उससे इस प्रकार काम करने की अपेक्षा की जाती है।

(2) ऐसी कटौती की रकम का उस मजदूरी से अनुपात, जो नियोजित व्यक्ति को उस मजदूरी कालावधि की बाबत संदेय है जिसके लिए कटौती की गई है, उस अनुपात से किसी भी दशा में अधिक न होगा जो उस कालावधि का, जिसमें वह अनुपस्थित रहा है, ऐसी मजदूरी-कालावधि में की उस कुल कालावधि से है जिसके दौरान उसके नियोजन के निबन्धन उससे काम करने की अपेक्षा करते हैं।

परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अध्यधीन यह है कि यदि मिल कर कार्य करते हुए दस या अधिक नियोजित व्यक्ति सम्यक सूचना के बिना (अर्थात् वैसी सूचना दिए बिना जैसी उनकी नियोजन संविदाओं के निबन्धनों के अधीन अपेक्षित है) और युक्तियुक्त हेतुक के बिना, अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति से की गई ऐसी कटौती में आठ दिनों की उसकी मजदूरी से अनधिक उतनी रकम सम्मिलित हो सकेगी जितनी सम्यक् सूचना के बदले में किन्हीं ऐसे निबन्धों के अनुसार नियोजक को शोध्य हो।"

यहां टैक्नीकल ढंग से मिश्र जी ने मजदरों के ही हित चिंतन की बात की है, लेकिन मजदूरों को क्या हम अपना टूल बनायेंगे, उन्हें आकर्षण दे करके कि सरकार की ओर से, तुम काम मत करो और हम तुम्हें उन काम के दिवसों की भी मजदूरी दिलयेंगे? क्या हम दूसरे माध्यम से अपनी राजनीतिक अभीप्सा के विस्तार की तो योजना नहीं बना रहे हैं? स्पष्ट रूप से अराष्ट्रीय ताकतें इस तरह का फन फैला करके सारी राष्ट्रीयता को डस लेना चाहता हैं। हम चाहते हुए भी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति उत्पादन के क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं। कोई अपने क्षेत्र को ही विकसित करने में लगा है, कोई क्षेत्रीय दल बना करके पूरे देश को उस क्षेत्र के नक्शे में देखना चाहता है, कोई विदेश के दर्शन और विदेश की गाइडेंस पर इस देश में समानता की वकालत कर रहा है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था भारत की धरती की प्रकृति का समाजवाद हो। समाजवाद की परिभाषा जो तुलसी दास ने की हैं :

"कीरति भनिति भूति भल सोई।
सुरसरि सम सब कर हित होई।।"

गंगा में कोई पापिष्ठी जाए, कोई मुसलमान जाए, कोई धर्मात्मा जाए, कोई

हरिजन जाए, सबको गंगा अपने हृदय से लगाती है और सब को शांति, शीतलता और जल के जीवन की महिमा का बोध कराती है। तो समाजवाद कौन सा, क्या विदेशी से उधार लिया हुआ समाजवाद या क्षेत्रीयता के दायरे में बंधा हुआ समाजवाद या वह समाजवाद जो इस देश की धरती की मिट्टी से उठता है और उस मिट्टी से उठता है जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, उसी में हम पल बढ़ रहे हैं और उस मिट्टी में हमारा अवसान भी होना है। यदि उस समाजवाद की व्याख्या करनी है तो हमें निश्चित रूप से इस देश के किसान और मजदूर का भी वे किसान नहीं जो हजारों-हजार एकड़ या सैंकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हैं—और उस मजदूर का भी, जो उनका काम करता है और पहले बन्नी पाता था और आज उसको रोजाना मजदूरी मिलती है, उत्पादन में हक होना चाहिए। जो मजदूरी करेगा उसे उत्पादन में पूरा हिस्सा मिलेगा यह भावना निश्चित रूप से श्रेयस्कर है और यह ऐसा श्रेय है जिसमें श्रम का वास्तविक मूल्यांकन होता है। जब अधिक उत्पादन करते है और जब बोनस बंटता है तो मजदूरों की आंख की कोर मे जो आंसू है मैं जानता हूँ ऐसे मजदूर और किसान हैं जिनके घरों में बच्चों को दूध के दर्शन नहीं होते हैं और बच्चे अपनी मां के स्तन का खून चूसने के लिए विवश होते है, अपनी मां का दूध उन्हें नहीं मिलता है, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है। हमने नई शिक्षा नीति बनाई है और ब्लैक बोर्ड आपरेशन की बात उसमें की गई है कि हर गांव में एक स्कूल होगा, दो अध्यापक होंगे, एक लेडी टीचर और एक पुरुष टीचर और ब्लैक बोर्ड होगा। तथा सारी प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। सब को हम शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन आज तक गांवों में आप देखिए तो अधिकांश झोपड़े ऐसे है जो कि रहने योग्य भी नहीं है। दस-पांच घरों में तो ताला बन्द होता है। उनमें पक्की चार-दीवारी वाली या बड़ी-बड़ी दालानें हैं जिनमें सारा श्रम जो खेत से उत्पादन होता है वह अनाज एकत्रित करके रख दिया जाता है। लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जिंदा रहने वाला किसान हो या मजदूर हो, उसके घर में आज तक दरवाजा ही नहीं लगा। वह हांडी में या कांसे के बर्तन में पकाते हुए, एक समय खाना खाकर के, रोटी नमक और प्याज खाते हुए जिंदगी बिता देता है और देश में विदेशों से उधार ली हुई नीतियों के आधार पर हम श्रम-आंदोलन करें या किसानों के उत्थान की बात करें, यह हास्यास्पद और इस देश की प्रकृति के प्रतिकूल सिद्ध होगा। ऐसी परिस्थितियों में जो मजदूर है, जो उत्पादन करते है, उन्हें आप अधिक से अधिक बोनस दें, लेकिन जो काम न करें, और ऐसे मजदूरों को राजनीतिक लोग टूल बनाएं अपने दलों के हितचिंतन के लिए, यह सब कड़ाई से बन्द होना चाहिए। जो उत्पादन करने वाला हैं, हमारे श्रम मंत्री जी बैठे हैं, अगर जरूरत हो तो राज्यसभा और लोक सभा में इस तरह का प्रस्ताव आना चाहिए कि कम से कम दो पंचवर्षीय योजनाओं तक हमारे जो श्रमिक है, उसे अनरेस्ट के लिए इस देश में कोई छूट नहीं होगी। कोई आंदोलन, चाहे मजदूर का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो, इस देश मे चलने नहीं दिया जायगा, तभी जाकर एकनिष्ठ होकर के इस देश में हम पूरे लक्ष्य के समीप पहुंच जाएंगे, उत्पादन के लक्ष्य को पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन समीप पहुंच पाएंगे।

मान्यवर महोदय, दाम चोरी, काम चोरी, नाम चोरी यह तीन नई शैली की चोरियां हैं। जो लोग टैक्स बचाते हैं या जो लोग नाजायज ढंग से धन का अर्जन करते है चाहे वे उत्पादन में, आफीसर हो, चाहे वे प्राइवेट सेक्टर के मालिक लोग हो वे अपराध करते है और राष्ट्रमाता के साथ अपघात करते है। जो श्रमिक अन्य दृष्टि से श्रम को बेचता है, चाहे डाक्टर हो या अध्यापक हो या इंजीनियर हो, अगर वह काम चोरी करता है, अगर वह अपनी ड्यूटी

के प्रति वफादार नहीं है चाहे सरकारी कर्मचारी हो या जनसेवा मे विश्वास करने वाला जन-प्रतिनिधि हो तो यह सब अपराधी की कोटि में आते है, चाहे हम हों या और कोई हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मिश्र जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, वह अच्छा है और इसमे मजदूरों के हितचिंतन की बात की गई है। लेकिन मैं कतई इस राय से सहमत नही हूं कि अगर मजदूर उत्पादन नहीं करता है, एक दिन की, चाहे 8 दिन की छुट्टी लेता है अकेले या सामूहिक रूप से इस रूप में नहीं उस रूप में ले, तो उसे श्रम का अंश मिले, यह नहीं होना चाहिए बल्कि होना वह चाहिए कि जो मजदूर ईमानदारी से काम करता है, जो उत्पादन में अपना खून-पसीना एक करता है और अपने जीवन का सर्वस्व न्यौच्छावर करता है, अपने यनिट को ही, अपने उत्पादन केन्द्र को ही भारतमाता मानकर काम करता है, एक निष्ठ भाव से उसके प्रति समर्पित है, ऐसे व्यक्तियो को अधिक से अधिक सुख-सुविधएं एग्जीक्यूटिव-हेडस की तरफ से मुहैय्या होनी चाहिएं। जो लोग फेडरेशन बनाकर के, यूनियन-बाजी करके काम करने में बाधक बनते हैं, बहुत से ऐसे इंजीनियर हैं, मैं भी जानता हूं, जो केवल हाजरी लगाने जाते हैं, ओवर-टाइम का भी वह पैसा पाते हैं और उन्हें प्रश्रय कौन देता है, हमारे जो बड़े-बड़े राजनीतिक लोग हैं वह उनको ठीक रखते हैं लखनऊ में, पटना में या बेंगलोर आदि राजधानियों में और उनका अस्तित्व बराबर बना रहता है, जिस आधार पर वे एग्जीक्यूटिव हेड्स को भी धमकाते हैं कि अगर मुझे बिना काम किए हुए भत्ता, ओवर-टाइम और मंथली सेलरी नही दोगे तो तुमको देख लूंगा। ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए काम से, जो किसी राजनीतिक का सहारा लेकर, किसी पोलिटिकल प्रेशर का सहारा लेकर, किसी का टाउट बनकर दफ्तर में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव हेड्स को, सर्वोच्च अधिकारियों को धमका कर काम नहीं करते हैं। इसका बुरा असर जो और मजदूर होते हैं, उन पर होता है उनमे, असंतोष व्याप्त होता है कि हम मेहनत करते है, अपना खून-पसीना बहाकर अपने बच्चों का पेट-पालन करते है और दूसरी ओर यह है कि एक दिन दफ्तर मे नही आएंगे, तनख्वाह लेने वाले दिन पहुंच जाएंगे। तो मैं क्यो काम करू? सारे मजदूर आलस्य और निकम्मे असंतोष की ओर बढ़ते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, हर जगह हैं, ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल बाहर करना चाहिए और शासन को उनके साथ कड़ाई के साथ निपटना चाहिए। तब जाकर एकरूपता व्याप्त होगी। कर्म हमारा धर्म है और जैसा हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कहा था कि, पक्का इरादा।...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : दूर दृष्टि और कड़ा अनुशासन।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : देखिए मालवीय जी ने पूरा कह दिया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : कैसे न कहें, 19 महीने जेल मे रहना पड़ा। वह मैं भूल नही सकता।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मालवीय जी, उन के सिद्धान्तो पर चलते भी हैं। अनुशासन तो नियंत्रित होना ही चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि चाहे कल कारखानो का मजदूर हो या प्राइवेट सेक्टर का मजदूर हो चाहे पब्लिक सेक्टर का मजदूर हो-मजदूर की कोई जाति नही होती है। मजदूर अध्यापक भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, ठेला चलाने वाला भी हो सकता है। मजदूरों का कोई धर्म नही होता है। मजदूरों का एक धर्म होता है—अधिक-से-अधिक उत्पादन और जिस यूनिट में काम करता है, उसके प्रति निष्ठा। इसलिए जैसाकि चतुरानन मिश्र जी ने प्रस्ताव रखा है, मजदूरों का हित चिंतन होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर मजदूर इस देश में उत्पादन बढ़ाने को तैयार हो तो उसका शेयर

[श्री रतन कुमार पाण्डेय]

भी होना चाहिए। जो उत्पादन करे उसका स्वामित्व भी होना चाहिए। लेकिन जो बीच के लोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए उनका मिसयूज करते हैं और रंग-बिरंगे झंडे फहराकर इंकलाब जिंदाबाद करवाते हैं, तालाबंदी करवाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए रोज के उत्पादन को ठप्प कराते हैं, ऐसे लोग क्रिमिनल्स है। ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं--चाहे वे राजनीति में हों, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हों, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हों उन सब को बेनकाब होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कबीर ने कहा है कि :

"निरबल को न सताइये,
जाकी मोटी हाय।
मुये चाम की खाल सों,
सार भसम होइ जाय।।"

गरीब को सताना हमारा धर्म नहीं है। यह अपना राष्ट्रधर्म है। एक वोट राष्ट्रपति भी देता है और एक वोट मजदूर भी देता है। उसके बाद हम चुनकर सदन में आते हैं और सरकार बनाते है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अपनी योग्यता और कौशल के अनुरूप अपने विवेक के अनुरूप अपना स्थान ग्रहण कर सके, सामाजिक प्रतिस्पर्धा के साथ यह आवश्यक है। लेकिन शार्टकट से आकर के कोई मजदूर पर हावी हो जाय, यह अनुचित है। यह देश किसान और मजदूरों का है और उन्होंने इस देश को स्वतंत्र किया था और स्वतंत्रता के 40 वर्षों के बाद आज जो उत्पादन के नए औद्योगिक तीर्थस्थल स्थापित हुए है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके पीछे आज इस देश के मजदूर का श्रम है। जो पसीना बनकर भारत माता के मस्तक पर छलक रहा है। दिनकर जी जो इस सदन के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि :

"ब्रम्हा का अभिलेख पढ़ा करते
निरउद्यमी प्राणी।
धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों
से पानी।।"

मजदूर जब श्रम करते हैं और किसान के मस्तक से जब श्रम बिन्दु छलकते हैं, उसकी भौहों से पसीना चूता है तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, भाग्य की लिपियां बदल जाती हैं। और श्रमेव जयते का सिद्धांत स्वयं चमत्कृत हो उठत है। तो हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं जब प्रगति की मंजिल की ओर हमारा उत्पादन बढ़ रहा है तो मजदूरों को अधिक से अधिक सुख सुविधा मिले इस का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उपबंध, नियम, उपनियम तो बनते हैं और बनते रहेंगे। समयानुसार उनमें संशोधनों की आवश्यकता होती रहेगी और वे होते रहेंगे, लेकिन श्रम का सम्मान होना चाहिए और श्रम करने वाले और श्रम का जो अधिष्ठता है उस के बीच में डाइरेक्ट डायलाग होना चाहिए। जो बिचौलिये है वह बन्द होना चाहिए, उसको समाप्त होना चाहिए तभी जाकर इस देश में जो हमारा लक्ष्य है उस को हम प्राप्त कर सकेंगे। हम चौदह वर्ष मे विश्व के मानचित्र पर सब देशों के आगे बढ़ कर प्रवेश करना चाहते है तो जब श्रमिक और उत्पादन का जो एवजीक्यूटिव हेड है उसके बीच बिचौलिये खत्म होंगे वह चाहे लेबर लीडर हों या कोई और, तभी हमारा वह लक्ष्य पूरा होगा और मुझे विश्वास है कि मजदूर उस लक्ष्य को समझ चुका है और उसको हृदयगम कर चुका है और उसको प्राप्त करने के लिये वह अपने प्राणों की बाजी लगा कर इस देश को दुनिया का महान राष्ट्र बनाने के कुसंकल्प को पूरा करने में पूरी निष्ठा के साथ जुट हुआ है। मुझे विश्वास है कि उसका श्रम रंग लायगा और यह देश दुनिया के मानचित्र पर औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा क्योंकि श्रमेव जयते का नारा हमारा सामान्य नारा नहीं है। इससे देश में कर्मवाद की स्थापना होगी।

करम कमंडल कर गहें,
तुलसी जहं जहं जायं ।
सागर सरिता कूप जल,
बूंद न अधिक समांय ।

जितना हमारा दायरा होगा उससे अधिक हम ग्रहण नहीं कर सकते । जल चाहे जितना भी उपलब्ध हो लेकिन जितना बड़ा हमारा लोटा होगा उससे ज्यादा हम नहीं ले सकेंगे । इसलिये मानस सागर को देश के राष्ट्र के जन-जन के मन की अभिव्यंजना और आवश्यकताओं को उत्पादन के मूल में रखते हुए हमें श्रमेव जयते के सिद्धान्त में विश्वास करते हुए श्रम की प्रतिष्ठा करनी होगी और श्रम के बिचौलियों को सदैव के लिये समाप्त करना होगा तभी जाकर इस देश में चतुरानन मिश्र जी ने जो संशोधन रखा है और जो इस तरह की चीजें आयेंगी उनकी कुछ सार्थकता होगी । मेरा विश्वास है कि इस संदर्भ में हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक सोचेगी और मजदूरों को—कामचोरों को नहीं, जो अपना पसीना गिराते है, जो अपने बच्चे को 104 डिग्री बुखार में छोड कर कारखाने में काम करने आते हैं और उन की संख्या 90 परसेंट से अधिक है, उनके लिये अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रावधान होना चाहिए और वह तभी होगा जब एक ओर जो महान अट्टालिकायें खड़ी हो रही हैं कारखानों की और दूसरी ओर दरिद्रता का साम्राज्य है, झोपडपट्टी की लाइन मीलों तक लगी हुई है, इस डिस्पैरिटी को हम मिटायेंगे । जब तक इक्वेल स्टेटस व्यक्ति को नहीं मिलेगा तब तक हमारा समानता का नारा केवल नारा ही बन कर रह जायगा । अगर किसान और मजदूर को प्रतिष्ठा मिलेगी उत्पादन में तभी बराबरी होगी और जो दरिद्रता का अंबार लगा हुआ है झोंपड़ीपट्टी के रूप में, कच्चे मकानों के रूप में वह नष्ट होगा और सब लोग समान भाव से सुख से रहेंगे ।

औरों को हंसते देखो मनु,
हंसो और सुखी पाओ,

अपने पन को विस्मृत कर दो,
जग को सुखी बनाओ ।

इस भावना से काम होना चाहिए । यह हमारा मजदूर कर रहा है और हमारी सरकार उसको अधिक से अधिक सुख और सुविधा और आनन्द के साधन मुहैया करायेगी ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है ।

इन शब्दों के साथ मैं चतुरानन मिश्र जी के संशोधन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करता हूं और अपने उपाध्यक्ष महोदय जी को जिन्होंने मुझे प्रेम से और धैर्यपूर्वक बोलने का इतना अच्छा अवसर दिया उसके लिये अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं ।

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, there should be no difficulty on the part of the Minister in accepting the particular Amendment Bill which is proposed by a very senior trade-union leader like Shri Chaturanan Mishra. It is very clear that the existence of a povision like this in the Wages Act, etc. is a reminder of our past when the then masters were trying to squeeze, and create fear and apprehension among the workers. In order to deter them from the possibility of clamouring for their legitimate rights, Acts like this, provisions like this were created. If we correctly look at the first part and the second part of Sub-clause (2), we see that the second is an affront even on the particular philosophy which is embodied in the first part. The first part tries to enunciate a philosophy that one cannot be penalised for a longer period for more than what the absence or absence from duty of a particular person is. In a sense, that is the thinking of that particular part (a).

[Prof. C. Lakshmanna]

But then, while providing a proviso like this, that very particular philosophy which was even enunciated by the jurisprudical principle has been done away with. And for years and years, I think, for about 51 years this particular clause has been used. And I am sure, Shri Mishra, who had been an active trade unionist, a very senior trade unionist must have had many occasions when this particular obnoxious provision might have been utilised.

[illegible]

SHRI P. A. SANGMA: He says that there has been no case.

SHRI CHATURANAN MISHRA: There are cases. Your Coal India is there.

श्री पी० ए० संगमा : उस दिन आपने कहा था।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने कहा कि अंग्रेजो के जमाने में हुआ, आपके शासन में वही हुआ।

PROF. C. LAKSHMANNA: This is exactly the problem. We have a very enlightened Labour Minister, no doubt, who is concerned for the labour, but sometimes that enlightenment is misplaced because he is not so conversant with the practies that have been going on, specially after independence. Not only this, but other draconian or obnoxious clauses had also been more frequently used since independence all over the country. When they put it, perhaps, they had their own apprehensions in implementing such provisions. But we do not have such apprehensions because we are the people's representatives. Our Government are considered to be representing the people's will. So, in the name of being people's representatives we do take recourse to such things. Therefore, the best way is not to have such provisions. It is no principle that 'you work for a period for which you will not get'. And it may be only because there is a clause like this.

Sir, we had a very interesting experience very recently. When the teachers in the entire country went on a strike only the teachers of the Osmania University could not go on a strike because they had failed to give a notice and they were aware of the provisions of this nature. Therefore, they did not join the mainstream for which they were unhappy. But none-the-less, they did not join. I am saying this because the existence of provisions like this will become problems of the nature which I just now mentioned. Therefore, it will be in the interest of good industrial relations, humanistic approach towards industrial relations that provisions of this nature are done away with. I would have been happier if the Labour Minister had brought forward this and he had not given an opportunity for somebody else to bring a Private Member's Bill of this nature. Even now, in view of the explanations that have been given by my predecessors and also what I attempted in a little way, if the Minister accepts to bring forward such amendment for the various Acts in future and also other such provisions, if there are any, then, perhaps, Mr. Mishra will have no objection to even withdraw his Bill.

Sir, the second point which I would like to make is about the tongue-twisting English idioms that have been used in the old Acts. The time has come when we have to simplify the Acts and the time has come when we are formulating and framing new Acts that they are in simpler language and an attempt has to be made to make things as simple as possible. Even with this end in view I would like to request the Labour Minister to kindly look at these Acts and make them intelligible. These are not to be intelligible only to the advocate who can twist and not twist. They should also be intelligible to the man who is primarily concerned with them, that is, the workers. There was a time when a thing which was not understandable was considered to be knowledge. I think a stage has come when there is knowledge explosion, when there

is so much information coming forth that there is no need to take recourse to such things. Therefore, the first point which I would like to impress upon the hon Labour Minister is to look upon some of these things, take a fresh look at them, and appreciate the need for putting them into simpler language so that worker's, the common man, who happens to be a worker can understand and he does not have to depend upon the expertise that is only available through advocates and so forth.

[The Vice-Chairman (Shri H Hanumanthappa in the chair]

With these words, I would once again request the Labour Minister to graciously accept to come forward with a future legislation, not in the coming future, but as soon as posible, so that the House can have the opportunity of congratulating him for bringing forth such a legislation. Thank you.

ठाकुर जगतपाल सिंह : (मध्य प्रदेश) आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्र जी जो प्रस्ताव लाये हैं उसके सम्बन्ध में सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जब आजादी की लडाई लडी उस समय बाद जो हमने वायदे किये थे वे सब पूरे किये । हमने कहा था कि आजादी के बाद हम हिन्दुस्तान मे समाजवाद लायेंगे । समाजवाद कब आता है जब समाज मे शोषणवाद की व्यवस्था खत्म हो । जो शोषण करने वाले लोग थे उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था कि मजदूर का मतलब होता है जो मौज मे दूर रहे, जिसे कभी सुख न मिल पाये । मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि शोषण दोनों तरफ से होता है । मजदूर का भी शोषण होता है और एम्पलायर का भी शोषण होता है । अगर हम एक आदमी को पांच रुपये देते है और वह चार रुपये का काम करता है तो क्या यह एम्प्लायर का शोषण नही है। ट्रेड यूनियनों का फंक्शन क्या है ? ट्रेड यूनियन एम्प्लायर और एम्प्लाई दोनो के बीच मे समन्वय स्थापित करे । अगर मजदूर शोषण करता है तो उसे भी रोके और अगर एम्प्लायर शोषण करता है तो उसे भी रोके । आज बदकिस्मती से हमारे मुल्क मे ज्यादातर ट्रेड यूनियने एक हथियार बन गयी है एम्प्लायर को मारने के लिए— चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे पब्लिक सेक्टर हो । अगर मजदूर प्रोडेक्टिविटी नही बढ़ाता है, अगर प्रोडेक्शन कम करता है और वैजेज ज्यादा लेता है तो यूनियन का काम होना चाहिए कि उसको कहे कि तुम काम बढ़ाओ । लेकिन आज यह नही हो रहा है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूरी बढ़ती है तो मजदूर का सामाजिक स्तर नही उठता है । उसके कमाने की इच्छा कम हो जाती है । मैं छत्तीसगढ इलाके मे गया तो मैंने देखा कि मजदूर को कितना मिनिमम वेज मिलता है उससे चार पांच दिन की तनख्वाह में ही उसका गुजारा हो जाता है । दो तीन दिन काम ही नहीं करता । मैंने पूछा कारण क्या है तो बताया कि उनका सामाजिक स्तर नही उठा है । वे उसी झोपडी में रहते है, चावल पकाते है और जितना खर्चा है उससे ज्यादा रुपये उसको मिल जाते हैं इसलिए वे लोग काम कम करते है । मेरा एक सुझाव है कि हम सब पार्टियों को मिलकर देश में अगर समाजवाद लाना है तो समाजवाद कैसे आयेगा ? अगर मुल्क में प्रोडेक्शन नही बढेगा, अगर प्रोडेक्टिविटी गिर जायेगी, प्रोडेक्शन गिर जायेगा तो पर-कैपिटा इन्कम भी गिर जायेगी । पर-कैपिटा इन्कम गिर जायेगी तो गरीबी बढ़ जायेगी । पापुलेशन ज्योमेट्रीकल बढती है, उद्योग अर्थमेटिकल बढते है. इसलिए हम गरीबी को मिटा नही सकेंगे । मैं चाहता हूं देश मे सभी पार्टियां मिल-बैठ कर इस बात को तय करे कि देश मे आने वाले अगले पांच वर्षो में चाहे मजदूर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो किसी किस्म की कोई भी हडताल इस मुल्क में नही करेंगे । अगर मजदूरों या कर्मचारियों को कोई तकलीफ है, उनकी अपनी परेशानियां हैं तो उसके लिये और भी तरीके हो

[ठाकुर जगपाल सिंह]

सकते हैं। लेकिन हम लोग इस बात पर तयार हो जायं, जो समाजवाद की बात करते है कि अगर हमारी जेब मे 10 रुपय है तो उसमे हम एक रुपया और जोडकर उसको बढाये। पहले हमें देश का प्रोडक्शन बढाना है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारी करनी और कथनी में अन्तर नही होना चाहिए। एक तरफ हम कहते है कि देश में गरीबी हटानी है और समाजवाद लाना है और दूसरी तरफ हम स्ट्राइक करते है। इसका नतीजा क्या होगा? देश मे गरीबी बढ़गी। अगर गरीबी बढ़ेगी तो देश का क्या होगा यह आप स्वयं सोचे क्योंकि आप खुद विद्वान है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचे। आप यह जो प्रस्ताव लाये है अगर मान लिया जाये कि एक आदमी काम नही करता है और अगर उसको डाइरेक्टली या इन-डाइरेक्टली पनिशमेंट नही देते है तो प्रोडक्शन गिर जायेगा माननीय मीश्र जी, यदि आप इस तरह का प्रस्ताव लाय होते जिनमें इन सब बातों का समावेश होता तो अच्छा होता। मिनिमम वैजेज भी बढ़ता रहे, लोग भी काम ज्यादा करें और सोशल आर्डर भी बढ़ता रहे और साथ ही उनकी कमाने की इच्छा भी बढ़ती रहे इस तरह का कोई प्रस्ताव लाना चाहिए था जिससे कि देश का प्रोडक्शन बढ़ सके। मैं अभी आपसे कह रहा था कि छत्तीसगढ मे मैंने देखा कि वहा के मजदूरों की काम करने की जो क्षमता थी वह घट गई। पहले वह हफ्ते मे सात दिन काम करते थे अब केवल चार पाच दिन काम कर रहे है, क्योंकि जितना उनको मिलता है उससे उनका खर्चा पूरा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि सोशल आर्डर पर भी ध्यान दे। जिन फैक्टरियो मे मजदूर काम करते है आप उन फैक्टरियों के मालिको से यह कहें कि उन्हे मजदूरों को क्वार्टर देने होंगे, उनके बच्चो के लिये एजुकेशन की व्यवस्था करनी होगी। जब हम उनको इस तरह की फैमिलिटीज देगे, उनके रहन सहन के स्तर को उठायेंगे तभी उनकी नीड बढ़ेगी और उनकी कमाने की इच्छा भी बढ़ेगी। मैं अंत मै आपसे कहना चाहता हूं और खासतौर अपने उन माननीय सदस्यो से जो इस देश मे समाजवाद की बात करते है। हमने समाजवाद की बात कही है और हम समाजवाद की दिशा मे बढ़ भी रहे है और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते है कि इस देश मे समाजवाद की दिशा मे जाने से हमे कोई रोक नही सकता। हमने इसका वायदा किया है और इसको हम पूरा करेंगे। हमने आजादी के वक्त कहा था कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र आयेगा और वह आया। हमने वायदा किया था कि इस देश मे शोषण के जो माध्यम है उनको हम समाप्त करेंगे और वह हमने किये। हमने देश मे रियासतों, प्रीवीपर्सो एवं जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं मजदूरों के कि दुनिया के किसी भी मुल्क में शोषण को रोकने के लिये जितने कानून हिन्दुस्तान मे बने है, दुनिया मे इतने कानून कही नही बने है।

...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे थोडा समय इस बिल पर बोलने के लिये दिया। मैने इस बिल पर बोलते हुए दो इशारे किये है आदरणीय मिश्रा जी को। क्योंकि समय हो गया है इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI P. A. SANGMA: Mr. Vice-Chairman, I am grateful to Mishraji and all hon. Members for this useful discussion. I do not have much to say on this Bill. The Payment of Wages Act was enacted in 1936 and this was meant to protect the welfare of the workers. This is meant for protection against non-payment of wages to the workers, against delayed payment of

wages or sometimes unauthorised deductions from the wages. That was the main intention when this Act came into being. Now section 9 of this Act deals with conditions under which deductions can be made by the employer for (1) ordinary absence, and (2) concerted absence. As far as ordinary absence is concerned, I think there is no quarrel at all. In regard to sub-sections (1) and (2) of section 9, there is no quarrel at all. What Mr. Mishra seeks to achieve through this Bill is to delete the proviso to sub-section (2) of section 9. I think, there has been an impression that for one day's absence, eight day's wages will be deducted. The position is that in order to enable an employer to deduct wages for eight days for one day's absence, there must be three conditions fulfilled. Somebody -- I thnik, Shri Tridib Chaudhuri - has pointed this out. The three conditions are :(1) There must be ten or more persons acting in concert to absent themselves; (2) They absent themselves from work without due notice and (3) They must absent themselves from work without any reasonable cause. Unless these three conditions are fulfilled, wages for eight days cannot be deducted from the worker. Otherwise, it has to be governed by sub-sections (1) and (2) of section 9.

Now, the question is, whether this is an arbitrary provision or whether it is against the interests of the workers. Somebody raised the question about the Constitutional validity of this provision. This provision has been challenged. There have been cases It has gone to the High Court; even up to the Supreme Court. For the information of the House, I would like to point out that the Constitutional validity of this provision has been upheld by the judiciary. They have not said anywhere that, Constitutionally, it is invalid. But there are cases where eight days' wages were deducted. In one case, the Supreme Court brought it to one day. They said 'eight days' wages is too much; you deduct one day's wages But the Supreme Court have not said that it is Constitutionally invalid. This is the point I wanted to clarify

Now, as somebody pointed out, this Act has been in existence for 51 years. But the question is, on how many occasions, this particular provision has been used or misused? This is the point. Mr. Mishra who is a trade union leader himself must have had some experience and that is why he has come to the House with this Bill seeking to delete this provision But he himself admitted, while moving the Bill, that this provision has not been used and yet he wants that this should not be there. Actually, I was expecting that in this debate hon. Members would come forward and give me specific instances where this provision has been used or misused. The only example which came out was that of Coal India. I will answer that. The Cool India strike took place on the 21st January, 1987. They went on a one day strike (*Interruptions*) The Company management served notice on the workers asking why eight days' wages should not be deducted. Questions were raised in Parliament on this. In the Consultative Committee of the Ministry of Labour, this issue was discussed Member of Parliament pleaded with me that I should talk to the Energy Minister and sort out this point. I talked to Mr. Sathe. Some members also talked to Mr. Sathe. In the meantime, the Eastern Coalfield workers went to the Calcutta High Court. My information is, till now, eight days' wages have not been deducted from the wages of the workers of Coal India for the January 21st strike. Therefore, even this example is not correct.

Unless we have any specific cases where it has been used or misused against the workers, unless we have some experience gained where this provision has gone against the interests of the workers, I do not see any reason why we should, at this stage, go in for a review of this provision But I can assure the House that if there are any case of victimisation or misuse of this provison, if this provision has gone against the interests of the workers, if there has been arbitrary exercise of this provision, I am prepared to look into it and I am prepared to review it. But as of now, I must submit to the hon House that I do not see any reason why we should review it. I do not see any reason why we should review it.

[Chri P. A. Sangma]

There is one point raised by Shri Chitta Basu which I want to answer though it is not connected with the subject. The point related to the interim relief which was agreed to. Shri Chitta Basu said that West Bengal had been discriminated. I must submit before this House and for the information of Shri Chitta Basu that Bengal has not been discriminated because it is not on the basis of States. NTC means all over India, and all over India we have not paid. At 4.30 I had to meet the deltgation of IDPL Rishikesh who have not received the interim relief. I will go from here to meet them. BALCO has not received it. So, it is not a discrimination against one State That impression he should never get. On the 31st I have met the trade union leaders in Calcutta I have discussed with them this issue thoroughly and I have promised that I will take up the matter with the Industry Ministry Unfortunately from Calcutta I had to go to Nagaland and from there I came back yesterday only. In the meantime, our officers have been in touch with them So, I would appeal on this floor that this sort of matters should be sorted out across the table. We have alway been for that and there is no necessity for going on strike I would appeal to them to call off the strike on the 21st and I am prepared to talk to them any time they want to talk to me.

With these words, I request the hon. Member to withdraw the Bill.

श्री चतरानन मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि इस कानून का कहीं इस्तेमाल नही हुआ है। सिर्फ 1987 का उन्होने दिया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1984 में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। हम लोगों ने हाईकोर्ट में स्टे करवा दिया था। आपके बगल में शिव शंकर जी बैठे हुए हैं उनको याद होगा, जब एनर्जी मिनिस्टर थे, कि कोल इंडिया में तनख्वाह काटी गयी थी। तो यह बात नहीं है। सिम्पल बात है कि जितना कसूर करेंगे हमें उतनी सजा मिलगी या 8 गुना ज्यादा सजा मिलेगी। प्रोपोरशनेट वेज काटी जायेगी या आठ गुना काटी जायेगी। यही सिम्पुल बात है। मंत्री महोदय कहते हैं कि नहीं हम एक तलवार आपकी गर्दन पर रखे हुए है इसकी धार तो बहुत तेज है परन्तु उससे क्या है जब गिरेगी तभी कुछ होगा। हम कहेंगे कि यह लज्जानक है। किसी भी सभ्य देश में ऐसा कानून नही है और आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाकर....

SHRI P. A. SANGMA: Let me clarify. I did not say that this provision has never been used. I said that this has been used very rarely, it is not that it has been widely used.

SHRI CHATURANAN MISHRA Whether it has been widely used or not, the question is that if, injustice is done ever to a single citizen, it is the duty of Parliament to look into that. That is why I say, it is highly objectionable, it is never applied anywhere in this world. No civilized country has made such a law.

I, therefore, request you to accept this amendment and I stick to it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA)· Are you withdrawing, Mr. Mishra?

श्री चतुरानन मिश्र : अगर वे रिव्यू करने के लिए सोचे तभी हम बात करेंगे।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: He has made a suggestion that if the hon Minister tells him that in future when the whole Industrial Disputes Act will be reviewed, this will be taken into consideration, he is prepared to withdraw.

Is the hon Minister prepared to do that?

SHRI P A. SANGMA I forgot to mention one more point. One hon Member made a point about lock-out *vis-a-vis* strikes. Now the Government policy on lockouts and strikes is under review and I have promised that a new legislation will be coming in Industrial Relations Act will be brought in to replace the Industrial Disputes Act. About this particular provision I have said that we will review the situation. That is why I have said that in case there has been any discrimination, arbitrary action against the

workers as a result of this provision, I am prepared to review it. So, let the hon. Member give me specific instances or history of it. However all he labour laws are always under constant review and I have no difficulty in reviewing this.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Mr. Vice-Chairman, I could not understand what he will review Is he going to review the Act?

5.00 p.m.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Time is over. Are you withdrawing it? Otherwise I will put it to vote.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, if he says he is going to review this proviso, then of course I can think of it and do something. But if he says that I should bring certain specific cases and then he will reconsider it that is not the point I want to know whether he is going to reconsider this proviso or not. If he is, then he should say so clearly.

SHRI P. A. SANGMA: I have said, we constantly review all the labour laws and I will certainly review this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now he has agreed that he will review this also.

SHRI CHATURANAN MISHRA Sir, it is just like saying God is there, nature is there and every thing is rotating. That is not the point. On his specific issue, if he is going to review it, he should say so. He should not put it vaguely; he should say so clearly.

SHRI P. A. SANGMA: I will review it.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Then I also withdraw it.

The Bill was, by leave, witharawn.

RE. SRI LANKA:

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): There is still one minute left We can take up the next Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No, I go by my watch. Now statement by the External Affairs Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): Sir when the Prime Minister spoke to the House on developments in Sri Lanka on the 9th of this month, he had said that, even at this late stage, we hoped that better sense will prevail and the LTTE would hand over their arms and support the Indo-Sri Lankan Agreement.

There was no immediate response from the LTTE which continued to attack the IPKF and civilian targets, forcing the civilian population to give them shelter and using them as shields for their operations against our soldiers Their propaganda campaign continued, and they sent messages to the UN Secretary General and other individuals, alleging that the IPKF was committing atrocities against the civilian population.

In the circumstances the IPKF has been forced to continue its operations against the LTTE. At the same time, we have placed increasing emphasis on getting those areas of the North that have been freed from the LTTE'e grip, including Jaffna, back to normal. Emergency supplies are being sent both by air and ship; electricity and telephone communications are being restored through equipment that we have flown out.

The people in the areas now under IPKF control are beginning to emerge from their nightmare. They realise that they no longer need to fear for their lives, or to live under coercion. They are beginning to come forward to point out LTTE coaches to the IPKF; there are reports that in some areas they have prevented LTTE operations. All this has helped the IPKF.

[Shri K. Natwar Singh]

Perhaps realising that they no longer represent the wishes of the people, numbers of LTTE personnel have become disillusioned; surrenders are taking place, and there have been indications that increasing numbers of the LTTE cadres now realise that there is no future in a continued and futile confrontation with the IPKF.

Faced with the resentment of the people of Jaffna, who are unwilling any longer to countenance LTTE obduracy, and in the face of sustained IPKF pressure, they have now released the eighteen IPKF soldiers in their custody. This is a positive development, and is a vindication of the policy followed by Government of firmness, coupled with a willingness to keep the door open for negotiations.

A number of well-meaning people, who have been in touch with the LTTE leadership, believe that the LTTE needs a little time to hand over their weapons and declare their support for the Indo-Sri Lankan Agreement. These sentiments have been echoed in the House In response, Government have decided that, for forty-eight hours, starting from 7 a.m. tomorrow, the 21st November, the IPKF will not open fire on its own initiative. It is hoped that the LTTE will use this opportunity to handover their arms and unequivocally support the Indo-Sri Lankan Agreement, in the larger interests of the Tamils of Sri Lanka, and do so during this period.

I am sure that all well-wishers of the Tamils of Sri Lanka will join me in urging the LTTE leadership not to let slip this opportunity to join the mainstream of political life and play an important part in the future democratic set-up.

On our part, we continue to be firm in our resolve to implement, in its totality, the Indo-Sri Lankan Agreement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Honourable Members, there are a large number of speakers on this statement. I request you to be very brief and to the point.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA (Karnataka): The Calling-Attention may be taken up on Monday.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Let us see. Normally, Calling-Attention is not spilled over.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Normally it won't spill over. Let us see. Yes, Mr. Gopalsamy.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the release of 18 Indian soldiers yesterday by the LTTE established a good gesture, and their good intentions also, to prove to the world that the Indian soldiers were treated well, shattering the false propaganda done by the Indian Government. I expected that the Government of India would, taking notice of this good gesture, come out with a statement of total ceasefire, with grace and magnanimity. But, Sir, it is very painful that again our Government is committing another mistake by coming out with a statement emiting malice venom and poison.

Sir, when the Government says that the LTTE will use this opportunity to hand over their arms and unequivocally support the Indo-Sri Lankan agreement, I would like to point out to the honourable Minister that statements have been made repeatedly, one after another, by the Cabinet Ministers of the Sri Lankan Government against the very spirit and very basis of the agreement. For example, when Mr. Gamini Dissanayake makes a statement that the Israeli forces wlil stay on and they will get all the military personnel to train their own soldiers—which goes to totally destroy the Indo-Sri Lankan agreement—when Prime Minister Premadasa says that the north and the east will never merge, when there is no assurance for the devolution of powers and when there is no indication of the dismantling of the 200 army camps, then where is the guarantee for the security of the Tamils who have been slaughtered all these years

if they hand over their arms to you? The Sri Lankan Government indicates that after some time it will request the Indian Army to get out, and the Government itself makes repeated statements against the very spirit of the agreement. And if you say that they should come out unequivocally to support the Indo-Sri Lankan agreement—to which they are not a party at all—it is like a blackmailer's threat or a threat at gunpoint, that unless you unequivocally support this agreement, after 48 hours again the Indian Army will launch its attack. That is the meaning of this statement.

Sir, again, in this statement the honourable Miniser has stated about civilian casualties. Thousands of Tamil civilians were slaughtered by the Indian Army in the conflict. I do not accuse the Indian Army, because they were put to this unfortunate task. Through you, Sir, I beg of this Government that they should not fail to see the tremendous resentment, bitterness and hatred developing in the minds of the Tamils in Sri Lanka against the very presence of the IPKF and the Indian Army.

Sir, when there is no guarantee for the security of the Tamils, how can they lay down their arms? They made a plea: 'Order cease-fire. Let us talk. Let us resume the negotiations and talks." In those talks they are prepared to work out the modalities of surrender of the arms also. But they have requested that the Indian army should move back to the October 9 position. And they will co-operate in the implementation of the Indo-Sri Lankan Agreement, even though they are not a party at all to this, in the interest of the Tamils. They have put it in very clear terms. Then, you demand that they should accept it unequivocally. Never has it happened in the world. At a gun-point you cannot threaten them, you cannot blackmail them. They have shown a good gesture. Yes, they have taken up the arms, but not against our country. They love India. They love Indians. They have not tâken up the arms against our country, against our army. They have taken up the arms against the onslaught of the Sri Lankan forces. Where is the guarantee of security of the Tamils when they are asked to lay down the arms?

After this gesture of theirs, when the credibility of this Government is totally lost in the eyes of the whole world and, therefore, due to the mounting pressure of the public opinion in Tamil Nadu, also all over India, now after this gesture, you have announced the cease-fire for 48 hours. Two youths have committed self-immolation in Tamil Nadu and died. It is becoming a volcano now. Therefore, even at this moment, may I beg of this Government, our hon. External Affairs Minister, that the cease-fire should be a continuous cease-fire, total cease-fire, not a 48-hour ceasefire? Resume negotiations. Resume talks. They are not going to use the weapons against you, against your army. You commence talks, resume talks.

While there is no guarantee of the security of the Tamils, you are demanding that they should lay down their arms and accept the Agreement within 48 hours. That means, again you are going to start attacks. You are going to commit another unforgivable blunder. So, this is the time. You kindly reconsider it. I beg of you Otherwise, it is going to be a terrific quagmire from which you cannot come out. Therefore, Sir, through you, I beg of this Government, I request this Government to come forward to reconsider its decision and order a total cease-fire and ask them to come for talks. When there is no guarantee of the security of the Tamils, then, there is no agreement at all. The Agreement itself has blown on your face. It has been burnt to ashes, and the ashes have been immersed in the blue waters of the Bay of Bengal by the Sri Lankan Government itself. The statement of the Minister of Sri Lanka is not an isolated statement of the Minister. It is a statement of the Sri Lankan Governmen. It is a statement of Mr. Jayewardene. Therefore, Sir, under these circumstances, with a painful heart, I beg of this Minister to reconsider again my plea that the cease-fire should be a total cease-fire There should be a healing touch in our approach. There should be a persuading approach. There should be persuasion in our approach. There should not be blackmailing and threat and emitting poison and venom.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : लेकिन परिस्थिति वहां बहुत भयानक है। अभी मेरे मित्र गोपालस्वामी जी बोल रहे थे। भारत सरकार के खिलाफ तो हम भी है और बहुत बाते कह सकते है। लेकिन अभी यह एक राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हो गयी है। समस्या यह है कि वहा दूसरे साम्राज्यवादी देशों के एजेंट मौजूद है। जैसे आपने देखा कि इजरायल के सम्बन्ध मे वहां के मंत्री ने घोषित किया कि वह नहीं हटेंगे तो ऐसी हालत में यह जो एग्रीमेंट हुआ है, इसका कार्यान्वियन भारत की ओर से सही ढग से नहीं हुआ तो अगर श्रीलंका के जो सिंहलीज है या वहा की सरकार मांग करे कि भारतीय सेना श्रीलंका छोड़ो, तो इसका क्या जवाब होगा। इसलिए यह सबके हित में है कि हम उस एग्रीमेंट का सही ढंग से पालन कर सके। मै मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि जो भी हमारी डिप्लोमेसी कर सकती है जो भी आपकी क्षमता हो, उसको लेकर वहा जाइए। यह अच्छी शुरूआत है। आपने बहुत से विशेषण, एडजेक्टिव्स अपने बयान में कहे है, इसके बिना भी काम चल सकता था और जब आप उनसे बात करने के लिए जाएं तो उन एडजेक्टिव्ज को यहीं छोड़कर जाइए। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

SHRI M. A BABY (Kerala): I hope this cease-fire or adjournment of fire will pave the way for saving the situation in Sri Lanka. All of us are very much concerned about the tragic and unfortunate bloodshed that has been taking place there. Now that a unilateral cease-fire has been declared for 48 hours, through this forum I would like to appeal to the leadership of the LTTE to seize this opportunity of cease-fire and come to the negotiating table and utilise this opportunity to retreat from their past mistake and do the utmost to see that the problem is solved in an amicable manner.

When demand for a cease-fire came from many quarters during the past couple of days—if I remember correctly. this demand was made three days ago in the other House—it was stated from the Government side that a cease-fire at this juncture may affect the morale of the IPKF. Now, I would like to know what significant event for the Government has happened during this period to change that position In the statement itself it has been mentioned that release of 18 IPKF soldiers was a positive gesture. I would like to know whether that alone has been taken as a positive gesture or even some other development which is known to the Government, has also happened which can be taken as an indication from the LTTE to come to the negotiation table.

Already a mention has been made about the presence of hostile foreign forces in the area. I hope that the Indian Government will take due note of this factor and see that no effort is spared from our side for the solution of this problem. I hope with the initiative from our side the LTTE people can be persuaded.

As all of us know the time is very little and not a single minute should be wasted. I hope with the efforts from the Government and good sense from LTTE significant changes can be brought in the situation. I suggest 48 hours cease-fire should be extended. In this connection I would like to mention that the major responsibility lies with the LTTE. If they respond positively to this gesture shown by the Government of India, things can be improved very much. I hope that the Government of India will show initiative and constructive diplomacy in helping to save the situation.

SHRI CHITTA BASU: Mr. Vice-Chairman, Sir. I am really happy to see that the Government of India after all has taken the decision of declaring unilateral cease-fire for 48 hours. This, to me is a positive step to defuse the situation As we said from this side of the House earlier we should not get ourselves involved in an improper way. Now that the situation has been created, attempts should be made to disentangle ourselves from the military conflict. However, this step

would help in defusing the situation. May I know from the Minister, in this situation, whether the Government is serious enough to take advantage of this defusion to bring about a solution to the problem finally? Before the cease-fire declaration decision taken by the Government, was the matter also taken up with the Government of Sri Lankan particularly the President of Sri Lanka, who is a cosignatory to the Agreement? My second point for clarification is....

SHRI K. NATWAR SINGH: What matter?

SHRI CHITTA BASU: Before the cease-fire declaration decision, did any discussion in this regard take place with the Government of Sri Lanka, that is, President Jayewardene, because he is a party to the Indo-Sri Lanka Agreement?

Now, LTTE has released 18 IPKF prisoners. Is it a fact that there are a large number of LETTE prisoners with IPKF? May I know from the Minister whether the Government of India wants to take the same reciprocal action by persuading the Sri Lankan Government to release the LTTE or other prisoners of militant groups?

My third point is, whether the government of India has taken or is expected to take any steps to persuade the Government of Sri Lanka, President Jayewardene, in regard to reframing the devolution packages because that will also help in the matter of further defusing the situation and bringing the militant groups to the negotiating able during these 48 hours.

Lastly, I want to know whether certain areas are now under IPKF in Jaffna area. What is the administration for those areas over which the IPKF has established its control?

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, since the IPKF operation began, we have been demanding that there should be a cease-fire and to that extent, I welcome the Minister's statement. But, Sir, true to the character and style of functioning of this Government, even good things are done clumsily, shabbily and without grace. I point out two things in support of my observations; one is when you are declaring a cease-fire, unilateral cease-fire, offering an olive branch, was it necessary to condemn the LTTE in such strong words in the statement? It is that which takes away all the grace of the Government's action. Secondly, Sir, this stipulation of 48 hours is meaningless. It is virtually an ultimatum and it will be taken as an ultimatum. If you cease military operation, if you cease hostility, there was no need to say 48 hours or 36 hours. If it is not reciprocated, if they attack the IPKF—they have the freedom to retaliate, nobody can stop them from doing so—in that case, why should you say, it is for 48 hours and make it an ultimatum? Therefore, it suffers from two deficiencies and it is absolutely meaningless to put this stipulation of 48 hours. You are hunting the LTTE leadership. So will you allow them to meet and discuss this proposal? Most of the LTTE leaders have gone underground. What facilities will you give or what amnesty will you give to them? How will they meet within 48 hours, where will they meet to discuss it and come to a conclusion? That is also a question to be answered. Another point is, the Government of India should have by now realised the intentions of the Sri Lankan Government after the statement of the Prime Minister of Sri Lanka, Mr. Premadasa, in their own Parliament while piloting the Bill. We know their intentions We know their attitude towards India and the Indian army and in the circumstances, after having realised their intentions, is it necessary to humiliate, denigrate and make the LTTE so powerless? When the IPKF leaves Sri Lanka, in what condition are you going to leave the Tamils? Are you going to leave them at the mercy of Sri Lankan army and the JVP there? One more point is, what is next? In spite of all these actions of the Government of India, some of them emanating from lack of communication, some of them emanating from lack of statesmanship, I do appeal to the LTTE leadership to seize this opportunity and not to decimate themselves further because they may have to take

[Shri Parvathaneni Upendra]

up arms one day for their survival, not against the Indian army but against their own army. That is how they have been surviving all these years. Therefore, they should take up this offer and discuss the modalities there.

Finally, Sir, what is the Government of India thinking about the political settlement there because Bills have been passed without any amendments? There is no commitment on the part of the Sri Lankan Government. The Prime Minister says, "we are against merger of eastern and northern provinces". They want to pack off the Indian army as quickly as possible In these circumstances, what is the Government of India thinking about the future? I demand that the Government of India should immediately call a meeting of the political leaders in this country, at least the leaders in the Parliament and discuss the subject because it is not your own affair. You have put India in a very embarrassing position far away from this country. India is bogged down there. You have been given a mandate to rule or misrule this country, but not to meddle with the affairs of other countries and commit India to such an operation Therefore, it is high time that you called a meeting of all the parties and discussed the future course of action. Thank you.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the LTTE and the Government of India—the LTTE on their releasing the 18 IPKF personnel and the Government of India on their accepting the request of this House that they should unilaterally cease-fire. Many debates have taken place in this House as well as in the other House. But two things have not been made clear which, to my mind, are very necessary at this stage. Tamils are the flesh of our flesh and the blood of our blood. It has to be understood by us We went there simply to save our brethren there. In the circumstances that developed later on, they took to arms and we had to reply to that. I would like the hon. Minister to give two assurances to the Tamils there in very clear and unambiguous terms. Firstly, in case a settlement is reached with regard to the surrender of arms, no harm will be fall them and the Sri Lankan Government will not be allowed to intimidate the LTTE personnel or any other cadre of theirs who have surrendered their arms. This assurance should go to the LTTE cadres and the leadership. The second thing, which, to my mind, is the most important, is that we have to assure the Tamils there that in case of need—we took to arms in saving the Sri Lankan Tamils and we saw to it that the Indo-Sri Lanka Agreement is implemented—if the Tamils are attacked by the Sri Lankan Government or their armed forces later on, the Government of India will intervene with all the force at their command to see to it that the Tamils are not, in any way, harmed. These two assurances must be broadcast to the LTTE personnel so that they may rest assured that no harm will befall them, though Jayewardene had stated in Delhi that he is after the blood of Prabhakaran. This solemn assurance that they will not be harmed and in case of need, with all the might at our command—air force, navy and what not—will go to the help of the Tamils of Sri Lanka should be given to them

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जो, मैं समझता हूं भारत सरकार और एल० टी टी०ई० के जो नेता है दोनों में सद्-बुद्धि आयी है और एल०टी०टी०ई० के नेता श्री मतैय्या ने जो बिना शर्त और बिना आई०पी के०एफ० के सिपाही जो उनकी कस्टडी में थे उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाये बिना जो सौहार्द्र का परिचय दिया है यह एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं भारत सरकार के इस वक्तव्य से सहमत नही हूं जिसमें उसने यह लिखा है कि वह इस राय की है कि आई०पी०के०एफ० के प्रेशर के कारण उन्होंने आत्मसमर्पण किया है "In the face of sustained IPKF pressure, they have now released the IPKF personnel in their custody".

एल०टी०टी०ई० के लीडर श्री मतैय्या का वक्तव्य जो 'हिन्दू' मे छपा है मैंने उसको पढ़ा है जिसमे वह कहते है सीज फायर होनी चाहिए। हम बातचीत करने के लिये तैयार है। हमारे पास जो आर्म्स है उनको हम सरन्डर करने को तैयार है। ऐसा उन्होने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है। लीडर ने कहा है :

Mr. Ajit Mahatiya, the LTTE Deputy Leader said.

"The LTTE was keen that a ceasefire should be brought about and hoped that the "goodwill" generated by the release of the Indian soldiers would pave the way for it. We want the ceasefire to be effected first. The Tamil People's problem should be solved. The IPKF's offensive should be stopped, and the ban on the LTTE lifted. A general amnesty also should be granted to our leader, Mr. V. Prabhakaran. The Indian army should pull back to the October 10 position. Later, when a secure situation obtains for the Tamil people, we will lay down arms after discussions."

मंत्री जी का भी वक्तव्य है कि भारत सरकार बातचीत करने के लिये तैयार है। तो मान्यवर मेरा प्रश्न है कि जब एल०टी०टी०ई० के लोगों ने भी यह कहा है कि हम बातचीत करने के लिये तयार हैं और आपका इरादा भी है कि हम बातचीत करेंगे तो आपने सीज फायर को कुछ समय के लिये क्यों टाल दिया, टोटल सीज फायर क्यों नहीं किया? दूसरा उन्होंने इस बात की मांग की है कि क्या भारत सरकार 10 अक्तूबर की जो स्थिति है उस पर जाने को तैयार हैं। मेरा निवेदन यह है कि बदली हुई परिस्थितियों में, क्योंकि यह जो समझौता हुआ था इसको कम से कम हमने, हमारे दल ने कभी नहीं माना, कभी इसका समर्थन नहीं किया और जो जयवर्धने सरकार के कृषि मंत्री है दस दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है, प्रेम दास जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है उनका बराबर इसके खिलाफ वक्तव्य आ रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि जब एल०टी०टी०ई० के लोगो ने सौहार्दता का परिचय दिया है और बगैर शर्त इसको माना है तो भारत सरकार को उनकी बात माननी चाहिए और बिना शर्त फौरन सीज फायर घोषित करनी चाहिए।

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह जो सीज फायर का कदम भारत सरकार ने उठाया है उसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। करीब-करीब सभी लोग चाहते थे कि सीज फायर हो। लेकिन धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए मुझे थोड़ी झिझक हो रही है क्योंकि समझौतो के मामले में इस सरकार की जन्म-कुण्डली बहुत अच्छी नही रही है। शुरूआत तो अच्छी होती है लेकिन बाद मे जल्दी ही फिसल जाते हैं और सारी चीजे गड़बड़ हो जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि श्रीलंका समझौते के सिलसिले मैं देश को पूरी जानकारी नही है यह पूरे देश की समझ में नही आ रहा है। हम यहां बैठे हैं जब हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो आम आदमी की समझ में क्या आता होगा यह आप समझ सकते है। आई० पी० के० एफ० में सब इलाकों के लोग है और शहीद हुए हैं। इससे पहली बार देश के लोगो को लग रहा है कि हमारे सैनिक क्यों मर रहे हैं, कहां लड़ाई लड़ रहे है। यह देश को विश्वास में लेने का एक मुद्दा है कि किस कारण से मामला बिगड़ा। बताया गया कि जब समझौता हुआ था तो एल० टी० टी० ई० के लोग उसका समर्थन कर रहे थे लेकिन अब लगता है कि ऐसा नही है। इसलिये इस सिलसिले में आप यह स्पष्ट करने की कोशिश करें कि मुद्दा क्या है? यह देश को समझ में नहीं आ रहा है। देश मे इस चीज के प्रति बहुत चिंता बढ़ रही है कि हम एक गुनाहबेलज्जत काम में फंसे हुए है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे यह बतायें कि जब यह बात

[श्री सत्यपाल मलिक]

पढ़े-लिखे लोगों की समझ में भी नही आ रही है तो मामला क्या है? लोगो को लग रहा है कि कोई चीज या तो छिपाई जा रही है या गलत तरीके से हो रही है जिसके कारण यह सारा नुकसान हुआ है।

दूसरी बात श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सीज फायर की बात उधर से हुई आपने कहा कि हमारे दबाव की वजह से हुआ है। हुआ होगा। अगर यह सच भी है तो एल०टी०टी०ई० के मुकाबले मे हिन्दुस्तान की सरकार या हिन्दुस्तान की फौजो की ताकत जो है वह अपने मुह से बखान करना जरूरी नहीं। एल०टी०टी०ई० हमारा दुश्मन नही है और आपका उससे कोई मुकाबला नहीं है। किसी अच्छे काम को भी खूबसूरती के साथ करने की आपकी आदत नही है। इसको आपको अपनी जुबान से नहीं बोलना चाहिए। यह स्कूली लड़के जिस तरह से बात करते है उसी तरह की बात हुई। इससे फायदा होने के बाद नुकसान होता है।

तीसरा, मैं जानना चाहता हू और चेतावनी देना चाहता हूं कि आप यह बताये कि वे कौन से लोग है जिन्होने आफर किया। मुझे डर यह लग रहा है कि वहा पर जो तमिल लोग है उनकी भावनाओं को समझने और उनको अपने साथ लाने के बजाय, एल० टी० टी० ई० को अपने साथ लाने के बजाय अगर आप श्रीलंका में कोई बरनाला ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत बडी गलती होगी। होना तो यह चाहिए कि अगर कोई बातचीत होती है तो आपको उसे पूरी तरह से कामयाब करना चाहिए। मै मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कहीं इस तिकड़म में तो नहीं लगे हुए हैं कि हम फलां ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं, वह ग्रुप आइसोलेटेड हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि वे यह बताये कि किन लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है।

आखिर मे मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त समझौता हुआ था वह सुखद चीज थी और मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हू कि यह लोगों की समझ मे नही आ रहा है। मै मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि पूरी तरह से वहा सीज फायर की आज स्थिति है। लेकिन आप अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक समझदारी से ऐसी स्थिति पैदा करिये ताकि यह 48 घंटे का जो सीज फायर है वह फ्रूटफुल हो, कामयाब हो और आप राजनैतिक तौर पर इस मसले को हल करने का प्रयास करें। इन शब्दो के साथ उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now, Mr. Aladi Aruna.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, from the beginning, our leader, Dr. MGR, repeatedly appealed to the Government of India for a cease-fire. Now it has been accepted by the Government of India even though it is an offer of conditional cease-fire. I thank the Government for this good gesture. After the release of 18 IPKF soldiers, a good atmosphere was created by the group of LTTE. To respond to that positively, now our Government has declared a conditional offer of cease-fire I appeal to the LTTE leader, Mr. Prabhakaran, to utilise this opportunity to bring peace and restore normalcy in Sri Lanka, especially in the Tamil area.

Sir, in these circumstances I would like to remind this House that it is not an easy task to implement any accord. We are not able to implement the Assam accord successfully. We have totally failed in implementing the Punjab accord. We have some bitter experience in implementing accords. Therefore, there is some difficulty also in implementing the Indo-Sri Lanka accord. That is why I want to make an appeal to the hon. Minister. In respect of the cease-fire he has

given only 48 hours. Even after the accord to surrender the arms we gave 72 hours, but it did not take place as we expected. So I appeal to the hon. Minister that more hours should be given, if necessary. Of course, if there is any attack from the LTTE, as stated by Mr. Upendra, we can retaliate; there is nothing wrong in it. But at the same time, military offensive should be avoided, because a military offensive of the IPKF, of Indian forces, is against the will of Tamils, not only in Sri Lanka but also in Tamils in India. (*Time bell rings*) That is why our policy of military offensive should be given up. Negotiations must be the policy of our Government. So we can easily understand what the Tamil people of Sri Lanka demand, what is their ideology. But, Sir, the Government of Sri Lanka surreptitously is adopting all deceptive methods to sabotage the implementation of the accord. In the presence of President Jayewardene the Prime Minister of that country speaks against the accord Other Cabinet Ministers also are speaking against the accord. That is why I remind the hon. Minister that President Jayewardene is not at all a reliable leader. So this Government must be more cautious in approaching the problem. So I earnestly request the Government that the implementation of the accord must be done through peaceful means, not with a military offensive I again appeal to the militant leaders to utilise this opportunity They have already been offered 48 hours. But we cannot openly ask them. compel them. to accept the accord, because we are quite sure that they are not a party to this accord. Morally we have no right to compel them. You know well that in the beginning, Sir,—it is an important poin —they were for an independent Eelam Because of our persuasion and negotiations they came forward to find a solution within the unity and integtiy of Sri Lanka They changed their policy to some extent. They may have some reservations. That can be settled in negotiations.

So I once again appeal to the Minister to abandon the policy of military offensive against the Tamils of Sri Lanka and negotiate with them. I hope you will be successful. I have no doubt about your diplomacy. But don't rely on the words of President Jayewardene. He is definitely a cunning leader in the world.

डा० बापू कालदाते : (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात आपके ध्यान मे लाना चाहता हू । पहली बात तो मै सरकार के ध्यान मे यह लाना चाहता हूं कि उन्होने जो सद्भाव आपके प्रति दिखाया है उसको इस ढंग मे आपको अपने बयान मे रखना उचित नही मानता हूं । इनकी सदिच्छा और सद्भाव को सही माने मे प्रतीक मानना चाहिए कि एल० टी० टी० ई० के लोगो के मन मे न भारत के प्रति न हमारे सैनिको के प्रति कोई दुर्भावना है इसलिए हमे इसको उसी ग्रेस से लेना चाहिए था । यह कहना कि हमारे दबाव से यह बात हो रही है यह हम जो कुछ करना चाहते है उसमे एक रोडे ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे पहले पहल लगता है । इस पर इस समय मैं ज्यादा नही जाना चाहता हूं क्योंकि यह बात सही है कि इसमे जो भी हमारे सैनिक किसी कारण हमने भेजे है वे विजयी होने वाले नहीं है क्योंकि यह कोई लड़ाई नही है कि जिसमे हम गौरव के साथ कह सकें कि हम जीते है । यह जीत की लड़ाई नही है । सही मानो मे जितनी ज्यादा लड़ाई चलेगी तो वह हमारी पराजय की लड़ाई हो सकती है, ऐसा भी मैं स्वय मानता हूं, इसमें जीत, पराजय दबाव और भाव में लिखने के सिवाय कि इस समझौते को लागू करने के बारे में हम लोगो को क्या करना चाहिए हमे इसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि जो आपने लिखा है कि :

"I am sure that all well-wishers of the Tamils of Sri Lanka will join me in urging the LTTE leadership not to let slip this opportunity to join the mainstream of political life and play an important part in the future democratic set-up."

यह तो जो आपने दिया है, मैं मानता हू कि यह हमारे लिए भी है। लेकिन मेरे ख्याल

[डा० बापू कालदाते]

से यह घंटे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आप इतना ही कर देते कि हमने सीज फायर कर दिया है। अगर आपको एक दो दिन में यह पता लगता कि इसको आगे बढ़ा सकते है तो आप आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन टाइम बाउंड होने से नुकसान हो सकता है यह मुझे लगता है। अतः टाइम बाउंड के फंदे में मत फंसिये। न सिर्फ उनकी मांग है बल्कि मैं मानता हूं कि भारत सरकार को भी मौका है कि इस समय का इस्तेमाल करे, उपयोग करे। सारी आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमैटिक मशीनरी है उसको गीअर अप करें तथा उनके नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करें। 48 घंटे के बाद यह लगे कि सीज फायर को कंटीन्यू कर सकते हैं ऐसी अवस्था आ जाये तब मुझे लगता है कि इसका उपयोग होगा नहीं तो सिर्फ 48 घंटे कहने से कोई मतलब नहीं होगा, ऐसा भी मुझे लगता है।

मैं एल०टी०टी०ई० के सारे मित्रों को तो आवाहन करता ही हूं लेकिन सरकार जिसकी जिम्मेदारी है इसको अमल में लाने की उससे भी खासतौर से आग्रह करता हूं कि आप इस समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके इस सीज फायर की स्थिति को कायम रखें। इसके बाद हल्ला न हो जाये और हमारे दोनों तरफ के लोग एक अमनपूर्ण फैसला लें इस दिशा में हम प्रयास करें स सिलसिले में आपकी क्या नीति है यह मैं आपसे समझना चाहता हूं।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : भारत की ओर से घोषित एकतरफा युद्धविराम के निर्णय का हम स्वागत करते है। भले देर आये लेकिन दुरुस्त आये इसका आनन्द प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य से इस वक्तव्य की भाषा बहुत ही कड़वी और आक्रामक है मानो किसी बहुत चिरंतन, पुरातन दुश्मनों के ऊपर जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसी भाषा का उपयोग हमने "लिट्टे" के प्रति किया है। यदि हम वास्तविक रूप से "लिट्टे" की ओर इस आह्वान की सकारात्मक प्रतिक्रिया चाहते हैं तो यह भाषा हमें शांति प्रस्थापना की ओर नहीं ले जायेगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह भाषा केवल वक्तव्य की होगी, भारत सरकार का मन वास्तविक रूप से "लिट्टे" के प्रति सहानुभुति तथा शांति से भरा होगा, क्रोध तथा बदले की भावना से नहीं। अन्य सदस्यों की तरह मुझे भी लगता है कि इसमें 48 घंटे की भाषा का उपयोग एक तरह से धमकी के प्रकार से किया है कि यदि आप इस तरह से नहीं करोगे तो हम फिर से हमला कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी राय रखिये, मतभेद हो सकते है। इसमें मेरी प्रार्थना यह होगी कि इसमें 48 घंटों के समय के जो शब्द हैं, एक समयावधि का उपयोग किया गया है, उसे न रखा जाए और अपनी ओर से हम सदभावना के रूप में एक युद्ध विराम की घोषणा करें और जिस प्रकार की प्रतिक्रियायें लिट्टे की ओर से होती है, उसके अनुसार आगे हम कार्यवाही करने के लिए मुक्त हैं, कर सकते हैं। (समय की घंटी) लेकिन इस प्रकार की धमकी का समय के साथ उपयोग न हो।

मेरा अंतिम मुद्दा इसमें यह है कि इस बीच जो घटनायें हुई, उसके कारण लिट्टे के नेता प्रभाकरण तथा अन्य साथियों को अगर इस युद्ध विराम को सकारात्मक प्रतिसात दिया जाए, तो पूर्णतया क्या अभयदान होगा और अगर उन्हें अपने अभय के प्रति किस प्रकार की आशंका होगी, तो वह

युद्ध विराम कोसकारात्मक प्रतिसात नहीं दें सकते ।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यदि लिट्टे इसको पूर्णतया प्रतिसात नहीं दे सकते तो क्या प्रभाकरण समेत सभी जो सैनिक शरण आयेंगे, उनको अभयदान देने की पूरी जिम्मेदारी श्रीलंका सरकार पर नहीं, क्या भारत सरकार अपने आप पर स्वयं लेगी और उन्हें पूरा अभयदान मिलेगा ?

इस प्रकार का यह मेरा दूसरा प्रश्न है। धन्यवाद ।

SHRI K. NATWAR SINGH: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am most grateful to hon. Members who offered observations on the *suo moto* statement I just made on the latest developments in Sri Lanka. I would first of all respectfully submit to hon. Members that they might once again look carefully at the Agreement which says that it is the responsibility of the Governments of India and Sri Lanka to ensure the physical securtiy and safety of all communities inhabiting the northern and eastern Provinces. And if you have read the other clauses of the Agreement, it will be quite clear as to what they are here for. Our contract is wtih the future. And that future is to have peace, amity, harmony and friendship and tranquility in Sri Lanka That is what we are working for That is why when the situation arose—I do not want to apportion the blame—the Government have made this announcement about the 48 hours' ceasefire. The time-frame was proposed by the LTTE. They wanted a 48 hour ceasefire. And when they made a positive gesture yesterday with the release of our 8 people and when we looked at the overall situation from the political, economic, administrative and defence angles, we came to the conclusion that we should make this offer. Now this is not an ultimatum. We have been trying to persuade the LTTE for the last four months to come to the conference table. And I entirely agree with Mr. Gopalsamy that this is the time for providing a healing touch. And I would seek the co-operation of all sections of the House to provide the healing touch because the objective is, as I said earlier, to put an end to any kind of confrontation, any kind of friction. (*Interruption*) No, I appreciate the feelings that you have. I also appreciate the tenor of the remarks that you have made, with certain reservations. But at no time are we saying that the LTTE are an enemy. On the contrary, I have said earlier that they had made a contribution which made the Agreement possible. Now, what we hope sincerely is that during the 48 hours beginning tomorrow morning, they will get together, and if there are any facilities that we can provide, the IPKF will. They have been in close touch for the last one week or ten days with the leadership of the LTTE. We have been in touch with the LTTE through our contacts. And if hon. Members can use their influence and appeal to LTTE to look at this very carefully and as I said in my statement join the mainstream of political activity, then we can proceed further with the implementation of the Agreement.

With regard to our future intentions, I have made it clear that on our part we continue to be firm in our resolve to implement in its totality the Indo-Sri Lanka Agreement.

It was asked as to what has been done about the statements made by various distinguished personalities in the Sri Lankan Government and Parliament. Now, Sir, with regard to the statement made in the Parliament of Sri Lanka by Prime Minister Prema Dasa to which Shri Upendra referred when we discussed this matter last, that very day we lodged a protest with the Government of Sri Lanka about the observations made by the Prime Minister of Sri Lanka. When the reports appeared about some of the remarks that were made by Mr. Gamini Dissanayake to a newspaper in Sri Lanka —I would like to say that I do not like to refer to individual personalities because I try to avoid personalising these matters. Mr. Gamini Dissanayake is a

[Shri K. Natwar Singh]

staunch supporter and one of the architects from the Sri Lankan side of the Indo-Sri Lanka agreement. We contacted him. our High Commissioner saw him and he said, if you read the whole interview, it is a stout defence of the agreement. He has, when he was pressed, made one or two observations with regard to the presence of the Israelis and others. Now, the numbers, as far as we know, of Israelis are between 30 and 40. Some of them are agricultural experts etc. etc. But we have drawn the attention of the Sri Lankan Government and if you read the letters that accompany the agreement, it is quite clear that any advisors, military advisors, from any other country will sooner or later have to withdraw. So, I would only appeal to Members that they must not read too much in what has appeared in the newspapers but that the overall views of Mr. Dissanayake are in total and full support of the agreement. (*Interruptions*). Sir, on the two items we have drawn his attention that we are naturally surprised at the observations that he has made and he has given an explanation to our High Commissioner, which we appreciate.

I want to refer to just one point Hon. Members have said that they have found the tone and the language of the statement a little harsh. Now, Sir, we worked very carefully on it. There are very strong feelings and passions about the sacrifices that our people have made. in this exercise and we have to take a total overall picture of it and what I want to say .....

SHRI V. GOPALSAMY: What about the civilians killed there?

SHRI K. NATWAR SINGH. The most unfortunate thing is that Mr. Prabhakaran whom I know, I have met him several times, elected to send a letter to the Secretary-General of the United Nations complaining against the activities of the IPKF I think this was going too far.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: My only request to you is, please bring out the diplomat in you and not the Rajput in you.

SHRI K. NATWAR SINGH: I am trying to point out to you that this is an occasion when we have all to work together, all of us have to use all our maturity, balance, wisdom and good sense, I once again want to thank the hon. Members very much for their participation. I would like to tell Shri Aladi that we are in touch with the distinguished Chief Minister of Tamil Nadu......

SHRI V. GOPALSAMY: Sir just one minute. In their appeal the LTTE has requested that the IPKF should get back to the October 10 position and then resume the talks and in the talks they could discuss about the surrender of arms and other things. But when you say they should lay down the arms first and accept unequivocally, is it possible? What about their demand of getting back to the October 10 position? And when our soldiers when they were released by the LTTE, according to my information, the LTTE men were not at all permitted to speak to the journalists and the pressmen who were present there

6.00 P.M That shows the attitude of our Government. This will not help in developing a goodwill from the LTTE. Could you enlighten on this?

SHRI K. NATWAR SINGH: As I said earlier, we are almost daily in touch through various channels and our representatives of the IPKF are very much in close touch with them because they deal with them every single day With regard to the suggestion that the IPKF should withrdaw to October 10 position, that has been found to be unacceptable by the IPKF for very good reasons .

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra). Why should it be accepted?

SHRI K. NATWAR SINGH· It cannot be accepted; we cannot proceed otherwise and you are coming under or giving in to pressures and conditions which are totally unacceptable to our peace-keeping force What I am trying to say is that in these 48 hours, the LTTE said that they would like to have this period to be able to collect their cadres to get together and have consultations and discussions and tell us what their next step

would be. We sincerely hope that this time will be fully utilised and if we see that the right kind of progress is being made and that they are coming forward to support the agreement, then we can go further. The 48-hour period is there because they said so. I do not want to make a commitment; it will all depend on how the situation develops in the next 48 hours beginning from tomorrow morning. If we see that there are hopeful signs of a proper atmosphere or the response is right we can look at the time-frame; we are not bound by this time-frame.

SHRI V. GOPALSAMY: Why were they not permitted to talk to press people?

SHRI K. NATWAR SINGH: I had a meeting this morning with various people and the Joint Secretary in charge of press The reports that have come out are some what one-sided. It is not to our advantage that we should prevent anybody from meeting the press. On the contrary, we would like them to see as to what we are doing and the sacrifices we are making for the establishment of a political instrumentality, for the adminstration to give economic help, to ensure that prices do not rise, that law and order is maintained. We do not want to hide anything from the press, and if any particular instance is brought to my notice, we can look into it.

I think I have answered all the queries. I have given an overall picture of the situation. I am most grateful to all the Members of the House for the understanding and suport they have given us.

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We continue with calling attention....

SOME HON. MEMBERS: No, Sir, On Monday.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): If the House agrees, we can take up calling attention on a subsequent day, not on Monday because for Monday already the business is fixed. Now we take up Special Mentions.

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu): This is objectionable. We can take up special mentions after calling attention is over.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Before calling for special mentions, I took permission of the House and the House was of the view that calling attention may be taken up on a subsequent day. Only after that I have called for special mentions. Yes, Mr. Malaviya.

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: Already it was decided that it cannot be so It was stated by the hon. Minister for Parliamentary Affairs, Mr. Jacob. You go through the records.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The House has got the freedom to change its own views. The House has changed its view now and decided to take calling attention on a subsequent day.

Yes, Mr. Malaviaya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मुझे अभी ट्रेन पकडनी है । मण्डे को अपना मेंशन रखूगा । जब आप चेयर पर नहीं थ तभी मैंने डा० बापू कालदाते जी से कह दिया था ।

Re: Demand for establishment of development Boards for Vidharbha Marathwada and Konkan Areas of Maharashtra

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष प्रश्न की तरफ आपके माध्यम से लंदन का और खासकर गृह मंत्री जी का ध्यान खीचना चाहता हूं । यह सदन जानता है कि संविधान की धारा 371(2) में मराठवाड़ा, कोंकन, विदर्भ और महाराष्ट्र के अन्य भागों के लिए एक स्टेटूटरी डवलपमेंट का प्रोविजन किया गया है ।